रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 5, 1970/अग्रहायण 14, 1892

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 5, 1970/AGRAHAYANA 14, 1892

24 DEC 1970

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 15th October 1970

G.S.R. 1972.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Junior Assistant Security and Personnel Officer, in the Bureau of Security, under the Ministry of External Affairs, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Junior Assistant Security and Personnel Officer, Bureau of Security, Ministry of External Affairs, Recruitment Rules 1970.

(2) They shall come into force on the date of their rules publication in the Official Gazette.

2. **Number, classification and scale of pay.**—The number of posts, classification thereof and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto

3 **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected there with shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. **D squalifications**—(a) No person who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be elligible for appointment to service·

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, except any person from the operation of this rules

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons

SCHE

Recruitment Rules for the Post of Junior Assistant Security

Name of the Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection or non-selection post	Age of direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Junior Assistant Security and Personnel Officer	Four]	General Central Service Class III (non-Gazetted) (Non-Ministerial)	Rs. 168—8—240	Not applicable	Not applicable	Not applicable

DULE

curity, in the Ministry of External Affairs.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Incase of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to te consulted in ma kin recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on Deputation	Transfer on deputation Police Officers of the grade of Sub-Inspectors from the Central or State Govt. (Period of deputation ordinarly not exceeding years)	Not applicable	Not applicable

[No. 34/PA.II/70.]

D. R. KAWATRA, Under Secy.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1970

जी० एस० आर० 1972.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, सुरक्षा ब्यूरो में कनिष्ठ सहायक सुरक्षा एवं कर्मचारी अधिकारी के पद पर भरती के तरीकों को नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को विदेश मंत्रालय कनिष्ठ सहायक सुरक्षा एवं कर्मचारी अधिकारी, सुरक्षा ब्यूरो, भरती नियम, 1970 की संज्ञा दी जाएगी।

(2) राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से ये लागू हो जायेंगे।

2. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान वही होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में बताए गए है।

3. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, तथा अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा तत्संबंधी बातें वही होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 6 से 13 में बताई गई हैं।

4. **अयोग्यताएं.**—ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का विधितः समझौता किया हो जिसकी पत्नी/पति जीवित हो अथवा (ख) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का विधितः समझौता किया हो, इस सेवा में नियुक्ति के योग्य नहीं होगा।

लेकिन, केन्द्र सरकार, यदि इस ओर से आश्वस्त हो कि ऐसे व्यक्ति पर और उसके साथ विवाह करने वाले दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत नियमों के अन्तर्गत इस तरह के विवाह की अनुमति दी जा सकती है, और ऐसा करने के दूसरे आधार भी हों, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के बंधन से छूट दे सकती है।

5. **ढील देने का अधिकार.**—जहां केन्द्र सरकार यह समझे कि इन नियमों की किसी भी व्यवस्था में ढील देना आवश्यक या उचित होगा, वहां वह, ऐसा करने के कारण लिखित रूप में दर्ज करके किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के सम्बन्ध में, आदेश देकर, इन नियमों की व्यवस्थाओं में ढील दे सकती है।

अनुसूची

सुरक्षा—ब्यूरो, विदेश मंत्रालय में कनिष्ठ सहायक सुरक्षा एवं कर्मचारी अधिकारी के पद पर भरती के नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद है या अप्रवरण
1	2	3	4	5
कनिष्ठ सहायक सुरक्षा एवं कर्मचारी अधिकारी	चार	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग-तीन (अराजपत्रित) (अमंत्रालयी)	168—8—240 रुपये	लागू नहीं होता

सीधी भरती के लिए आयु	सीधी भरती के लिए शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भरती वालों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं क्या पदोन्नति पाने वालों पर भी लागू होंगी ?	परिवीक्षा—अवधि, यदि कोई हो	भरती का तरीका सीधी भरती या पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों के प्रतिशत द्वारा
6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण द्वारा भरती की स्थिति में वे वर्ग जिनमें पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण किया जाता है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसका स्वरूप क्या है?	वे परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से भरती करने के लिए परामर्श किया जाता है।
11	12	13
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के उप-निरीक्षक वर्ग के पुलिस अधिकारी (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

[सं० 34/पी ए-दो/70]

डी० आर० कवात्रा, अवर सचिव।

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS AND MINES & METALS

(Department of Mines and Metals)

New Delhi, the 26th September 1970

G.S.R. 1973.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Mines and Metals Draughtsman Recruitment Rules, 1970, namely:—

1. (1) These rules may be called the Department of Mines and Metals Draughtsman Recruitment (Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Mines and Metals Draughtsman Recruitment Rules, 1970, for rule 4, the following shall be substituted, namely:—

"4. *Disqualifications.*—

No Person—

(a) who has entered into, or contracted, a marriage with a person having spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into, or contracted, a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule."

[No. 16/13/69-Estt.]

V. K. HARURAY, Dy. Secy.

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय

(खान तथा धातु विभाग)

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1970

सा० का० नि० 1973.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खान तथा धातु विभाग नक्शानवीश भर्ती नियम, 1970 में संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्न नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) यह नियम खान तथा धातु विभाग नक्शानवीश भर्ती (संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) यह शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हो जाएंगे ।

2. खान तथा धातु विभाग नक्शानवीश भर्ती नियम, 1970 में, नियम 4 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4–निरर्हताएं :—

ऐसा कोई पुरुष ऐसी कोई महिला उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी :—

(क) जिसने किसी ऐसी महिला/किसी ऐसे पुरुष से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का निश्चय किया हो जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने अपनी पत्नी अपने पति के जीवित होते हुए किसी अन्य महिला/पुरुष से विवाह किया हो अथवा करने का निश्चय किया हो,

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष को प्रयोज्य स्वीय विधि के, अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं, तो वह इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी ।"

[सं० 16/13/69-स्थापना]

वीरेन्द्र कुमार हूकरे, उप सचिव ।

(Department of Mines and Metals)

New Delhi, the 12th November 1970

G.S.R. 1974.—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:—

1. (i) These rules may be called the Mineral Concession (third Amendment) Rules, 1970.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official *Gazette*.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960,—

(1) in rule 13,—

(i) in sub-rule (2), for the words "shall be deemed to have been rejected and the fee paid to him shall be refunded to his legal representative", the words "shall be deemed to have been made by his legal representative" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (3), for the words "the order shall be deemed to have been revoked on the occurrence of the death and the fee paid shall be refunded to the legal representative of the deceased", the words "the order shall be deemed to have been passed in the name of the legal representative of the deceased" shall be substituted;

(2) in rule 58, in sub-rule (1), the words "or in respect of which an order had been made for the grant thereof but the applicant has died before the execution of a licence or lease" shall be omitted;

(3) in rule 69, after item (xv) and the entries relating thereto, the following item and the entries shall be inserted, namely:—

"(xvi) Celestite, Phosphatic Modules, Clay and Gypsum,".

[F. No. 1(27)/70-MVI.]

M. M. BAKSHI, Under Secy.

(खान तथा धातु विभाग)

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1970

सा० का० नि० 1974.—खान तथा खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, खनिज रियायत नियम, 1960 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (i) यह नियम खनिज रियायत (तृतीय संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(ii) यह शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हो जाएंगे ।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 में :—

(1) नियम 13 में :—

(i) उपनियम (2) में "प्रतिक्षेपित किया गया समझा जायेगा और उसको संदत्त शुल्क का उसके विधिक प्रतिनिधि को प्रतिसंदाय कर दिया जायेगा," शब्दों के लिए, "उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा किया गया समझा जायेगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ;

(ii) उपनियम (3) में, "मृत्यु हो जाने पर आदेश प्रतिसंहृत किया गया समझा जायेगा तथा संदत्त शुल्क का मृतक के विधिक प्रतिनिधि को प्रतिसंदाय कर दिया जायेगा," शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

(2) नियम 58 में, उपनियम (1) में, "अथवा जिसके बारे में उसके अनुदान के लिए आदेश दिया गया परन्तु अनुज्ञप्तियां पट्टे के निष्पादन से पूर्व आवेदन-कर्ता की मृत्यु हो चुकी हो" शब्द लुप्त कर दिए जायेंगे ।

(3) नियम 69 में, मद (xv) तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित मद तथा प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(xvi) सलेस्टाइट, फास्फेटिक मौड्यूल्स, क्ले तथा जिप्सम,"

[फाइल संख्या 1(27)/70-एम VI]

मदन मोहन बख्शी, अवर सचिव ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

(Department of Family Planning)

New Delhi, the 22nd October 1970

G.S.R. 1975.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Class IV posts in the Film Unit (Department of Family Planning) Recruitment Rules, 1970, namely:—

(1) The rules may be called the Class IV posts in the Film Unit (Department of Family Planning) Recruitment (Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Class IV posts in the Film Unit (Department of Family Planning) Recruitment Rules, 1970, in column 7, for the entries the following entries shall be substituted, namely:—

"**Essential**

1. Upto 8th standard.

2. I.T.I. Certificate in the trade of Radio Mechanic

Desirable.

Knowledge of operating tape-recorders and other recording equipment."

[No. A. 120-18/1/70-Estt. I.]

R. P. MARWAHA, Under Secy

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्रालय

(परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर 1970

जी० एस० आर० 1975.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद् द्वारा परिवार नियोजन विभाग के फिल्म एकाश में चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती नियमावली, 1970, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत

1 इन नियमों को फिल्म एकाश (परिवार नियोजन विभाग) में चतुर्थ श्रेणी के पदों के (संशोधित) भर्ती नियमावली 1970 कहा जाए,

2 ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2 फिल्म एकाश (परिवार नियोजन विभाग) में चतुर्थ श्रेणी के पदों के भर्ती नियमावली, 1970 की अनुसूची के कालम 7 में दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, नामत :

"**अनिवार्य**

(1) आठवीं कक्षा तक

(2) रेडियो मकैनिक के व्यवसाय का आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र

वांछनीय

टेप रिकार्डरों तथा दूसरे ध्वनि-अभिलेखन यन्त्रों के संचालन का ज्ञान ।"

[संख्या ए० 120-18/1/70-स्थापना I]

आर० पी० मरवाहा, अवर सचिव ।

(Department of Works, Housing and Urban Development)

New Delhi, the 16th November 1970

G.S.R. 1976.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain posts in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Department of Works, Housing and Urban Development), namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Department of Works, Housing and Urban Development) Junior Analyst and Research Assistant Recruitment Rules, 1969.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply for recruitment to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

2. **Number of posts, their classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scales of pay attached of posts, thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, the age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons or posts.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Junior Analyst and Research Assistant in the Dept. of Works, Housing, Ministry of Works, Housing & Supply

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion//deputation/ transfer to be made	If a D.P.C exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Junior Analyst	1	General Central Service II Gazetted, Ministerial	Rs 400—25—500—30—590—EB—30—800—EB—830—35—900.	Not applicable	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By transfer on deputation.	*Transfer on deputation* : Officers holding analogous posts under the Central Govt. or Asstts of the Central Secrt Service with 10 years service in the grade, having experience and/or training in the application of work study or Organisation and Methods techniques (Period of deputation—ordinarly not exceeding 3 years)	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958

Research Assistant	1	General Central Service Class II (Non-Gazetted) Ministerial	Rs. 325—15—475—EB—20—575.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation.	*Transfer on deputation* : Assistants of the Central Secretariat Service with 5 years service in the grade and having experience and/or training in the application of work study or Organisation and methods techniques. (Period of deputation Ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. F. 27/2/66-Adm.I.]

S. L. VASUDEVA, Under Secy.

(निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग)

नई दिल्ली 16 नवम्बर, 1970

सा० का० नि० 1976.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग) में कतिपय पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:**—(1) ये नियम स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय (निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग) कनिष्ठ विश्लेषक और अनुसंधान सहायक भर्ती नियम, 1969 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना :**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ में विनिर्दिष्ट पदों पर भर्ती के के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और वेतनमान:**—पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति आयु सीमा और अन्य अर्हताएं:**—भर्ती की पद्धति आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बद्ध अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **शिथिल करने की शक्ति**:—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके आदेश द्वारा व्यक्तियों या पदों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी।

अनु

निर्माण, आवास और आपूर्ति मंत्रालय निर्माण और आवास विभाग में कनिष्ठ विश्लेषक और

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं / प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी
1	2	3	4	5	6	7	8
1. कनिष्ठ विश्लेषक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग II राजपत्रित, अनुसचिवीय	400—25—500—30—590—द०रो०—30—800—द० रो० —830—35—900 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा
2. अनुसंधान सहायक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग II (अराजपत्रित) अनुसचिवीय	325—15—475—द०रो० 20—575 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा

सूची

अनुसन्धान सहायक के पद पर भर्ती नियम।

परिवीक्षा की कालावधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अन्तरण द्वारा, तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति अन्तरण किया जाना है	यदि विभागीय समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमे भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण द्वारा	**प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण :** केन्द्रीय सरकार के अधीन सहश पद धारण करने वाले अधिकारी या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक जिनकी ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा है, जिन्हें कार्य अध्ययन या संगठन और रीति तकनीकों का अनुभव और/या प्रशिक्षण प्राप्त है, (प्रतिनियुक्ति की कालावधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं)	लागू नही होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अधीन यथापेक्षित
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण द्वारा	**प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण :** केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक जिनकी ग्रेड में 5 6 वर्ष की सेवा है और जिन्हें कार्य अध्ययन या संगठन और रीति तकनीकों का अनुभव और / या प्रशिक्षण प्राप्त है। (प्रतिनियुक्ति की कालावधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं)	लागू नहीं होता	संघ लोकसेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथापेक्षित

[सं० 27/2/66-प्रशासन-1]

शिवलाल वासुदेव, अवर सचिव।

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 21st October 1970

G.S.R. 1977.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Railway Inspectorate Service (Class I) Recruitment Rules, 1968, namely:—

1. These rules may be called the Railway Inspectorate Service (Class I) Recruitment Amendment Rules, 1970.

2. They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

3. In the Railway Inspectorate Service (Class I) Recruitment Rules, 1968,

(1) In the schedule against Serial No. 2, pertaining to Additional Commissioner of Railway Safety, under column 9 for the entry "two years" the entry "one year" shall be substituted.

(2) Note (ii) at the end shall be omitted.

[No. RS 25-N(68)/65.]

A. R. GOEL, Under Secy.

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 21, अक्तूबर, 1970

सा०का०नि० 1977.— संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा रेलवे निरीक्षणालय सेवा (श्रेणी 1) भर्ती नियम, 1968 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

1. इन नियमों को रेलवे निरीक्षणालय सेवा (श्रेणी 1) भर्ती संशोधन नियम, 1970 कहा जाये ।

2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू हो जायेंगे ।

3. रेलवे निरीक्षणालय सेवा (श्रेणी 1) भर्ती नियम, 1968, में,

(1) अनुसूची में अतिरिक्त रेल सुरक्षा आयुक्त से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, कालम 9 के नीचे, प्रविष्टि "दो वर्ष" के स्थान पर प्रविष्टि "एक वर्ष" प्रतिस्थापित कर दी जाये ।

(2) अंत में दी गयी टिप्पणी (ii) छोड़ दी जाये ।

[सं० आर० एस० 25—एन(68)/65]

आत्मा राम गोयल,
अवर सचिव, भारत सरकार।

CABINET SECRETARIAT

(Department of Statistics)

New Delhi, the 6th November 1970

G.S.R. 1978.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the General Central Service (Class II and Class III posts in Central Statistical Organisation) Recruitment Rules, 1960, published with the notification

of the Government of India in the Cabinet Secretariat No. GSR. 110, dated the 19th January 1960, namely:—

1. (1) These rules may be called the General Central Service (Class II and Class III posts in the Central Statistical Organisation) Recruitment Amendment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the General Central Service (Class II and Class III posts in the Central Statistical Organisation) Recruitment Rules, 1960, in the post relating to 'Junior Investigation,' under column 5, for the entry "Selection", the entry "Non-Selection" shall be substituted.

[No.2(23) /69-Estt.I/II.]

K. P. GEETHAKRISHNAN, Deputy Secy.

मंत्रीमंडल सचिवालय

(सांख्यिकि विभाग)

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1970

सामान्य संविधिक नियम 1978.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुछेद 309 के उपबंध में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामान्य केन्द्रीय सेवा (केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में श्रेणी 2 तथा श्रेणी 3 पदों) की भरती नियम, 1960 (जो भारत सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 110 दिनांक 19 जनवरी 1960 के साथ प्रकाशित हुआ है) में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रतिपादन करते हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम सामान्य केन्द्रीय सेवा (केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में श्रणी 2 और श्रणी 3 के पदों की) भरती संशोधन नियम, 1970 कहे जायेंगे।

(2) सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन से ये लागू होंगे।

2. सामान्य केन्द्रीय सेवा (केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में 2 और श्रणी 3 के पदों की) भरती नियम, 1960 की अनुसुची में स्तंभ 5 के अन्तर्गत "कनिष्ठ अन्वेषक," से सबंधित पद की प्रविष्टि "चयन" के लिए "चयनेतर" प्रस्थापित किया जाएगा।

[सं० 2(23)/69—संस्थापन 1/2]

के० पी० गीताकृष्णन्, उप सचिव।

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 20th October 1970

G.S.R. 1979.—Whereas certain draft amendments to the maximum rates for the hire of boats and catamarans regularly plying for hire in, or partly within and partly without the Port of Madras were published as required by sub-section (2) of section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), at page 2359 of the Gazette of India—Part II—Section 3—Sub-section (i) dated the 4th July, 1970, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. G.S.R. 997, dated the 30th June, 1970 inviting objections

and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the 10th August, 1970;

And whereas the said Gazette was made available to the public on or about the 4th July, 1970;

And whereas no objections or suggestions have been received from the public on the said draft;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendments to the maximum rates for the hire of boats and catamarans regularly plying for hire in, or partly within and partly without the Port of Madras, published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Transport (Transport Wing) No. 13-C-PI(7)/57, dated the 23rd March, 1957, namely:—

Amendments

In the said notification—

(i) before Note (1), the following Note shall be inserted, namely:—

(1) "Inside Harbour" means inside the main ship entrance to the Harbour;

(ii) Notes (1) to (7) shall be re-numbered as Notes (2) to (8) thereof;

(iii) in Note (8), as so re-numbered, the words "Inside Harbour" means 'inside the main ship entrance to the Harbour' shall be omitted;

(iv) after Note (8), as so amended, the following Note shall be inserted, namely:—

"(9) The charges leviable shall be increased by fifteen per cent."

2. This notification shall come into force on the 5th December, 1970.

[No. 13-PG(24)/70-II.]

K. L. GUPTA, Under Secy.

जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन खंड)

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1970

सा० का० नि० 1979.—यतः मद्रास पत्तन में या भागतः उसके भीतर और भागतः बाहर नियमित रूप से किराए पर चलने वाली नौकाओं और कटमारनों के किराए की अधिकतम दरों के प्रारूप संशोधन भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 6 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 997, तारीख 30 जून, 1970 के साथ भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) के पृष्ठ 2359 पर प्रकाशित किए गए थे, जिनमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिन पर उनका प्रभाव पड़ना सम्भाव्य था। 10 अगस्त, 1970 तक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 4 जुलाई, 1970 को या इसके आसपास उपलब्ध हो गया था।

और यतः उक्त प्रारूप पर जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (i) के खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मद्रास पत्तन में या भागतः उसके भीतर और भागतः बाहर नियमित रूप से किराये पर चलने वाले नौकाओं और कटमारनों के किराय की अधिकतम

दरों में, जो भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या 13-सी पी आई (7)/57 तारीख 23 मार्च, 1957 के साथ प्रकाशित हो चुकी है, निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में

(1) टिप्पण (1) से पूर्व निम्नलिखित टिप्पण अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात

(1) बन्दरगाह के भीतर से बन्दरगाह के मुख्य पोत द्वार के भीतर अभिप्रेत है;

(2) टिप्पण (1) से (7) तक उसके टिप्पण (2) से (8) तक के रूप में पुनः संख्याकित कर दिए जाएंगे;

(3) इस प्रकार पुनः संख्याकित टिप्पण (8) में "बन्दरगाह के भीतर" से बन्दरगाह के मुख्य पोत द्वार के भीतर अभिप्रेत है" शब्द लुप्त कर दिए जाएगें,

(4) इस प्रकार यथा संशोधित टिप्पण (8) के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अन्तः स्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात :—

"(9) उद्ग्रहणीय प्रभार में पन्द्रह प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाएगी।"

2. यह अधिसूचना 5 दिसम्बर, 1970 को प्रवृत्त होगी।

[स० 13- पी० जी० (24)/70-II]

के० एल० गुप्ता,
अवर सचिव, भारत सरकार।

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

(Office of the Chief Settlement Commissioner)

New Delhi, the 6th November 1970

G.S.R. 1980.—In exercise of the powers conferred by Section 40 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Rules, 1955, namely.—

1. (1) These rules may be called the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Amendment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Rules, 1955, in rule 17-B, for item (i), the following shall be substituted, namely:—

"(i) National Savings Certificates."

(Amendment No. LXXXIX dated 6th November, 1970).

[No. F. 14(6)/C&P/70.]

JANKI NATH, Under Secy.
Settlement Commissioner & *ex-officer*

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1970

जी० एस० आर०1980:—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, 1955 में निम्नलिखित और संशोधन करती है :—

(i) इन नियमों को विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन नियम 1970 कहा जायेगा ।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू माने जाएंगे ।

2. विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम 1955 के नियम 17 बी में वर्तमान मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित लिखा जाए :—

"(i) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र"
(संशोधन संख्या LXXXIX दिनांक 6-11-1970)

[स० फा० 14(6) कम्प एण्ड प्रोप/70]

जानकी नाथ,

बन्दोबस्त आयुक्त तथा

पदेन अवर सचिव, भारत सरकार ।

(Department of Labour & Employment)

New Delhi, the 11th November 1970

G.S.R. 1981.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Iron Ore Mines Labour Welfare Fund Organisation (Class II posts) Recruitment Rules, 1967, namely:—

1. (i) These rules may be called the Iron Ore Mines Labour Welfare Fund Organisation (Class II posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1970.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Iron Ore Mines Labour Welfare Fund Organisation (Class II posts) Recruitment Rules, 1967, after item 2 relating to the post of "Accounts Officer, Iron Ore Mines Labour Welfare Fund, Orissa and the Union Territory of Goa, Daman and Diu" and the entries relating thereto, the following shall be added namely:—

1	2	3	4	5	6	7
3. Assistant Engineer, Iron Ore Mines Labour Welfare Fund, Madhya Pradesh, Mysore and the Union Territory of Goa, Daman and Diu.	Three	General Central Service Class II Gazetted Non-Ministerial	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900	Selection	30 years and below (Relaxable for Government Servants)	*Essential* : Degree in Civil Engineering of a recognised University or equivalent. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). *Desirable* : Experience in the construction of buildings.

8	9	10	11	12	13
No	2 years	By promotion 33-1/3%, By transfer on deputation 66-2/3%, failing which by direct recruitment.	*Promotion* : Overseer with 10 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. *Transfer on deputation* Assistant Engineers, failing which Overseers with 10 years service as such, from the Central or State Governments. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Class II Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations 1958."

[No. F. 12018/6/70-M III]

C. R. NAIR, Under Secy.

श्रम रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

सा०का०नि० 1755.—निम्नलिखित प्रारुप नियम, जिन्हें केन्द्रीय सरकार संविद श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम 37) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए जिनका उनके द्वारा प्रभावित होना संभाव्य है प्रकाशित किए जाते हैं और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप पर 31 अक्टूबर, 1970 को या उसके पश्चात् विचार किया जायगा ।

उक्त प्रारूप के बारे में किसी व्यक्ति या निकाय से इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त होने वाले आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जायगा ।

अध्याय 1

1. **संक्षिप्त नाम और विस्तार**:—(1) ये नियम संविद श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

2. **परिभाषाएं** :—इन नियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से संविद श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 अभिप्रेत है ;

(ख) "अपीली अधिकारी" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अपीली अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "बोर्ड" से धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) "समिति" से धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;

(च) "प्ररुप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररुप अभिप्रेत है ;

(छ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

अध्याय 2—केन्द्रीय बोर्ड

3. **बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे**—

(क) अध्यक्ष जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा ;

(ख) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)—पदेन

(ग) केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति जिसे उस सरकार द्वारा अपने अधिकारियों में से नियुक्त किया जायगा ;

(घ) रेलवे का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार द्वारा रेल-बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किया जायगा ;

(ङ) चार व्यक्ति, एक कोयला खान नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाला, एक अन्य खानों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाला और दो उन ठेकेदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले जिनको अधिनियम लागू होता है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियोजकों और ठेकेदारों के ऐसे संगठनों, यदि कोई हों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त हों, से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किया जायगा;

(च) पांच व्यक्ति, एक रेल कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला, एक कोयला खानों, के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला, एक अन्य खानों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला और दो उन ठेकेदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले जिनको अधिनियम लागू होता है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारियों के ऐसे संगठनों, यदि कोई हों, जो केन्द्रीय सरकार से इस निमित्त मान्यता प्राप्त हों, से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किए जाएंगे

4. **पदावधि** :–

(1) बोर्ड का अध्यक्ष उस तारीख से जिसको उसकी नियुक्ति प्रथम बार शासकीय राजपत्र में अधिसूचित हुई है, तीन वर्ष की कालावधि के लिए इस रूप में पदधारण करेगा ।

(2) नियम 3 के खण्ड (ग) और (घ) में निर्दिष्ट बोर्ड का प्रत्येक सदस्य इस रूप में राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पदधारण करेगा ।

(3) नियम 3 के खण्ड (ङ) और (च) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य उस तारीख से जिसको उसकी नियुक्ति प्रथम बार शासकीय राजपत्र में अधिसूचित हुई है, प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की कालावधि के लिए इस रूप में पदधारण करेंगे ;

परन्तु जहां ऐसे किसी सदस्य का उत्तरवर्ती उक्त तीन वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर या उससे पूर्व शासकीय राजपत्र में अधिसूचित नहीं हुआ है वहां ऐसा सदस्य अपने पद की कालावधि के समाप्त होने पर भी ऐसे पद को अपने उत्तरवर्ती की नियुक्ति के शासकीय राजपत्र में अधिसूचित होने की कालावधि तक धारण करता रहेगा ।

5. **त्यागपत्र** :–बोर्ड का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है, केन्द्रीय सरकार को संबोधित लिखित रूप में पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है और उस सरकार द्वारा ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार कर लिए जाने पर उसका पद उस तारीख से जिसको ऐसा त्यागपत्र स्वीकार किया जाय, रिक्त हो जाएगा ।

6. **सदस्यता की समाप्ति** :–यदि बोर्ड का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है, बोर्ड की तीन क्रमवर्ती बैठकों में ऐसी अनुपस्थिति के लिए अध्यक्ष की इजाजत अभिप्रेत किए बिना भाग नहीं लेता, तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा ;

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा सदस्य बोर्ड की तीन क्रमिक बैठकों में भाग लेने से पर्याप्त कारणों द्वारा रोका गया था, निदेश दे सकेगी कि सदस्यता की ऐसी समाप्ति नहीं होगी और ऐसा निदेश दिए जाने पर ऐसा सदस्य बोर्ड का सदस्य बना रहेगा ।

7. **सदस्यता के लिए निरर्हता**—(1) कोई व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नियुक्त किए जाने और होने के लिए निरर्हित होगा —

(i) यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय को ऐसी घोषणा विद्यमान है; या

(ii) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(iii) यदि वह किसी ऐसे अपराध में जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, दोष सिद्ध किया गया है या है ।

(2) यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या उपनियम (1) के अधीन निरर्हता उपगत हुई है तो केन्द्रीय सरकार इसका विनिश्चय करेगी ।

8. **सदस्यता से हटाया जाना** :—केन्द्रीय सरकार बोर्ड के किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी यदि उसकी राय में ऐसा सदस्य उन हितों का प्रतिनिधित्व करने में परिविरत हो गया है जिनका प्रतिनिधित्व बोर्ड में उसके द्वारा तात्पर्यित है;

परन्तु ऐसा कोई सदस्य तब तक नही हटाया जायगा जब तक प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन देने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय ।

9. **रिक्ति** :—(1) जब बोर्ड की सदस्यता में कोई रिक्ति होती है या होने की संभावना होती है, अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट पेश करेगा और ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार रिक्ति को भरने के लिए कदम उठायेगी ।

(2) यदि बोर्ड की सदस्यता में कोई रिक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या उसके द्वारा दिए गए त्यागपत्र के कारण होती है तो एतद्द्वारा हुई रिक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यक्तियों के उस प्रवर्ग में से नियुक्ति द्वारा भरी जायगी जिसका कि यथास्थिति मृत या त्यागपत्र देने वाला सदस्य और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उस सदस्य की शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया है ।

10. **कर्मचारी वृन्द**—(1) (i) केन्द्रीय सरकार अपने अधिकारियों में से एक को बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त कर सकती है और ऐसे अन्य कर्मचारीवृन्द जैसा कि वह आवश्यक समझे, जिससे कि बोर्ड अपने कृत्यों का निष्पादन करने में समर्थ हो सके, नियुक्त कर सकती है ।

(ii) कर्मचारीवृन्द को देय सम्बलम् और भत्ते और ऐसे कर्मचारीवृन्द की सेवा की की अन्य शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित की जाय ।

(2) **सचिव**—

(1) बोर्ड की बैठकों को संयोजित करने में अध्यक्ष की सहायता करेगा ;

(2) बठकों में भाग ले सकता है किन्तु वह ऐसी बैठकों में मत देने का हकदार नहीं होगा ;

(3) ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त का अभिलेख रखेगा; और

(4) बोर्ड की बैठकों में किए गए विनिश्चयों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा ।

11. **सदस्यों के भत्ते** :—(1) किसी शासकीय सदस्य के, उसके द्वारा पदीय कर्त्तव्य पर की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्तों उसको लागू नियमों द्वारा शासित होंगे और उसको सम्बलम सदाय करने वाले प्राधिकारी द्वारा संदत्त किए जाएंगे ।

(2) बोर्ड के अशासकीय सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता ऐसी दरों पर संदत्त किया जायगा जैसा कि केन्द्रीय सरकार के श्रेणी 1 के अधिकारियों को अनुज्ञेय है और दैनिक भत्ता केन्द्रीय सरकार के श्रेणी 1 के अधिकारियों को उनके अपने अपने स्थानों में अनुज्ञेय अधिकतम पर दर संगणित किया जायगा ।

12. **काम काज का निपटाना** :—प्रत्येक प्रश्न पर जिस पर बोर्ड द्वारा विचार करना अपेक्षित है, बैठक में या यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे तो आवश्यक कागजों को प्रत्येक सदस्य की राय के लिए भेज कर विचार किया जायगा और प्रश्न बहुमत के विनिश्चय के अनुसार निपटाया जायेगा;

परन्तु मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का दूसरा या निर्णायक मत होगा ।

13. **बैठक** :—(1) बोर्ड की ऐसे स्थानों और समयों पर बैठक होगी जो अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) अध्यक्ष बोर्ड की प्रत्येक उस बैठक की जिसमें वह उपस्थित हो अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित कोई सदस्य ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

14. **बैठकों की सूचना और काम काज की सूची** : (1) सामान्यतः सदस्यों को प्रस्थापित बैठक की सात दिन की सूचना दी जायगी ।

(2) किसी भी काम काज पर जो बैठक के लिए काम काज की सूची में नहीं है, उस बैठक में अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विचार नहीं किया जायगा ।

15. **गणपूर्ति** : किसी बैठक में, जब तक कि कम से कम चार सदस्य उपस्थित न हों, किसी काम काज का संव्यहार नहीं किया जायेगा ;

परन्तु यदि किसी बैठक में चार सदस्य उपस्थित है, तो अध्यक्ष बैठक को किसी अन्य तारीख के लिए, उपस्थित सदस्यों को इत्तला देते हुए और अन्य सदस्यों को यह सूचना देते हुए स्थगित कर सकता है कि वह काम काज को, स्थगित बैठक में चाहे विहित गणपूर्ति हो या न हो निपटाने की प्रस्थापना करता है और तब उसके लिए स्थगित बैठक में काम काज को निपटाना विधिमान्य होगा चाहे उसमें भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कुछ भी हो ।

16. **बोर्ड की समितियां** :—(1) (i) बोर्ड ऐसी समितियां और ऐसे प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए जैसा कि वह आवश्यक समझे गठित कर सकता है ।

(ii) समितियों का गठन करते समय बोर्ड अपने एक सदस्य को समिति के अध्यक्ष के स्वरूप में नाम निर्देशन कर सकता है ।

(2) समिति की ऐसे समयों और स्थानों पर बैठक होगी जैसा कि उक्त समिति के अध्यक्ष विनिश्चित करें और समिति अपनी बैठक में काम काज के संव्यवहार के सम्बन्ध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगी जैसा कि यह विनिश्चित करें ।

(3) नियम 11 के उपबन्ध समिति के सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए, उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि ये बोर्ड के सदस्यों को लागू होते हैं ।

अध्याय 3—रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन

17. **स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की रीती**—(1) धारा 7 की उपधारा (1) मे निर्दिष्ट आवेदन उस क्षेत्र के जिसमे रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए ईप्सित स्थापन अवस्थित है, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, प्ररूप सं० 1 मे, तीन प्रतियो मे दिया जायेगा और उसमे नियम 18 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां होंगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ एक खजाना चलाना होगा जिसमें स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस का संदाय दर्शित होगा ।

(3) उपनियम (1) मे निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से परिदत्त किया जायेगा या उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा ।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी उसके द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख उस पर लिखने के पश्चात आवेदक को अभिस्वीकृति प्रदान करेगा ।

18 **रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी** —(1) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्ररुप स० 2 मे होगा ।

(2) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन मंजूर किए गए प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित विशिष्टिया होंगी अर्थात् :—

(क) स्थापन का नाम और पता ;

(ख) स्थापन में सविद श्रमिको के रूप मे नियोजित कर्मकारो की अधिकतम संख्या,

(ग) उस कारबार व्यापार, उद्योग विनिर्माण या पेशे का प्रकार जो स्थापन में किया जाता है ;

(घ) ऐसी अन्य विशिष्टिया जो स्थापन मे सविद श्रमिको के नियोजन से सुसगत हो ।

(3) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी प्ररूप सं० III मे रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें उन स्थापनो की विशिष्टियां होगी जिनके सबध में उसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किऐ गये है ।

(4) यदि, किसी स्थापन के संबंध मे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों मे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों मे कोई परिवर्तन हो तो स्थापन का मुख्य नियोजक रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को, ऐसा परिवर्तन होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, ऐसे परिवर्तन की विशिष्टिया और उसके कारण, प्रज्ञापित करेगा ।

19. वे परिस्थितिया जिनमें रजिस्ट्रीकरण आवेदन नामजूर किया जा सकता है (1) यदि कोई आवेदन सब बातों मे पूर्ण नही हो तो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुख्य नियोजक से उसमे ऐसा संशोधन किए जाने की अपेक्षा करेगा जिससे वह सब बातों से पूर्ण हो जाए ।

(2) यदि मुख्य नियोजक, रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण आवेदन में संशोधन किए जाने की अपेक्षा की जाने पर, ऐसा नहीं करता या नहीं कर पाता तो रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी रजिस्ट्रीकरण के आवेदन को नामंजूर कर देगा ।

20. **रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का संशोधन** .—(1) जहां, नियम 18 के उपनियम (4) के अधीन प्रज्ञापना की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उस रकम से जो मुख्य नियोजक द्वारा स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस के रूप में संदत्त की गई है अधिक रकम संदेय है, तो वह मुख्य नियोजक से ऐसी राशि निक्षिप्त करने की जो, ऐसे मुख्य नियोजक द्वारा पहले ही संदत्त रकम सहित, स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय फीस की ऐसी अधिक रकम के बराबर होगी, और ऐसा निक्षेप दर्शित करने वाली खजाना रसीद प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा ।

(2) जहां, नियम 18 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट प्रज्ञापना की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि स्थापन के रजिस्टर में प्ररूप सं० 3 में यथा प्रविष्ट, विशिष्टियों में परिवर्तन हुआ है तो वह उक्त रजिस्टर में संशोधन करेगा और जो परिवर्तन हुआ है वह उसमें अभिलिखित करेगा ;

परन्तु ऐसे किसी भी संशोधन का ऐसे संशोधन से पूर्व की गई किसी बात या किए गए किसी कार्य या अर्जित या उपगत किसी अधिकार, बाध्यता या दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

परन्तु यह और भी कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी रजिस्टर में प्ररूप सं० 3 में तब तक कोई संशोधन नहीं करेगा जब तक कि मुख्य नियोजक द्वारा समुचित फीस निक्षिप्त न कर दी गई हो ।

21. **अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन.**—(1) ठेकेदार द्वारा अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप सं० 4 में तीन प्रतियों में उस क्षेत्र के अनुज्ञापन अधिकारी को किया जाएगा जिसमें वह स्थापन जिसका कि वह ठेकेदार है, अवस्थित है ।

(2) अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ प्ररूप सं० 5 में मुख्य नियोजक द्वारा दिया गया इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र होगा कि उस के द्वारा आवेदक को, अपने स्थापन के संबंध में ठेकेदार के रूप में नियोजित किया गया है, और यह कि वह आवेदक द्वारा संविद श्रमिकों के नियोजक की बाबत अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के सब उपबन्धों द्वारा आबद्ध होने का जिम्मा लेता है ।

(3) ऐसा प्रत्येक आवेदन अनुज्ञापन अधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से परिदत्त किया जाएगा या उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा ।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर अनुज्ञापन अधिकारी उस पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख लिखने के पश्चात्, आवेदक को अभिस्वीकृति प्रदान करेगा ।

(5) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन के साथ खजाना रसीद भी होगी जिसमें निम्नलिखित दर्शित होगा :—

(i) नियम 24 में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिभूति का निक्षेप, और

(ii) नियम 26 में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस का संदाय ।

22. **अनुज्ञप्ति मंजूर या अस्वीकार करने में ध्यान में रखी जाने वाली बातें.**—अनुज्ञप्ति मंजूर करने या मंजूर करना अस्वीकार करने में, अनुज्ञापन अधिकारी निम्नलिखित बातों को ध्यान में, रखेगा अर्थात :—

(क) क्या आवेदक :—

(i) अवयस्क है, या

(ii) विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, या

(iii) अनु-मीचित दिवालिया है, या

(iv) किसी ऐसे अपराध (आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व पांच वर्ष की कालावधि के दौरान किसी भी समय), जिस में केन्द्रीय सरकार की राय मे नैतिक अधमता अन्तर्वलित है दोष सिद्ध किया गया है ;

(ख) क्या उस स्थापन में जिसके संबंध में आवेदक ठेकेदार है संविद श्रमिक के उत्सादन के लिए समुचित सरकार का कोई आदेश, या कोई पंचाट या सैटिलमैंट है ;

(ग) क्या धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन आवेदक की बाबत कोई आदेश किया गया है और यदि हां तो क्या उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि बीत चुकी है ;

(घ) क्या आवेदन के लिए फीस आवेदक द्वारा नियम 26 में विनिर्दिष्ट दरों पर निक्षिप्त कर दी गई है ।

(ङ) क्या आवेदक द्वारा नियम 24 में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिभूति निक्षिप्त कर दी गई है ।

23. **अनुज्ञप्ति की अस्वीकृति की मंजूरी.**—(1) आवेदन की प्राप्ति पर, और तत्पश्चात यथासंभव शीघ्र अनुज्ञप्ति अधिकारी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक की पात्रता के बारे में अपना समाधान करने के लिए ऐसी जांच जैसी वह आवश्यक समझे, करेगा ।

(2) (i) जहां अनुज्ञप्ति अधिकारी की राय है कि अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जानी चाहिए वहां वह, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात आवेदन को नामंजूर करने वाला आदेश करेगा ।

(ii) आदेश में अस्वीकृति के कारण अभिलिखित किए जाएंगे और आवेदक को संसूचित किया जायगा ।

24. **प्रतिभूति**:—अनुज्ञप्ति जारी किए जाने से पूर्व संविद श्रमिकों के रूप में नियोजित उन कर्मकारों में से प्रत्येक के लिए 30 रुपये की दर से संगणित रकम, जिनकी बाबत अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है, ठेकेदार द्वारा, अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक पालन या अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अनुवर्तन के लिए, निक्षिप्त की जायगी ।

25. **अनुज्ञप्ति का प्ररूप और निबन्धन तथा शर्तें**:—(1) नियम 23 के अधीन मंजूर की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्ररूप सं० 6 में होगी ।

(2) नियम 23 के अधीन मंजूर की गई और नियम 29 के अधीन नवीकृत प्रत्येक अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात :—

(i) अनुज्ञप्ति अन्तरणीय होगी ;

(ii) स्थापन में संविद श्रमिकों के रूप में नियोजित कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी ;

(iii) इन नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय, अनुज्ञप्ति की यथास्थिति मंजूरी या नवीकरण के लिए संदत्त फीस अप्रतिदेय होगी ;

(iv) ठेकेदार द्वारा कर्मकारों को संदेय मजदूरी की दरें जहां लागू हों ऐसे नियोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन विहित दरों से कम नहीं होंगी और जहां दरें सहमति सेटलमैंट या पंचाट द्वारा नियत की गई हैं वहां ऐसे नियत दरों से कम नहीं होंगी ;

(v) (क) उन मामलों में जिनमें ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकार उसी प्रकार का काम करते हैं जैसा कि स्थापन के मुख्य नियोजक द्वारा सीधे नियोजित कर्मकार करते हैं, ठेकेदार के कर्मकारों के काम के घण्टे और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो स्थापन के मुख्य नियोजक द्वारा सीधे नियोजित कर्मकारों को लागू हों ;

(ख) अन्य मामलों में ठेकेदार के कर्मकारों के काम के घण्टे और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं ।

स्पष्टीकरण : उपर्युक्त (ख) के अधीन काम के घण्टे और सेवा की अन्य शर्तें निर्धारित करने में मुख्य श्रम आयुक्त तत्समान नियोजनों में काम के घण्टों और सेवा की अन्य शर्तों को ध्यान में रखेगा ;

(vi) (क) प्रत्येक ऐसे स्थापन में जहां संविद श्रमिकों के रूप में सामान्यतया बीस या उससे अधिक महिलाऐं नियोजित की जाती हैं उनके छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रयोग के लिए युक्तियुक्त विमाओं के दो कमरों की व्यवस्था की जायगी ।

(ख) ऐसे कमरों में से एक का प्रयोग बच्चों के खेलने के कमरे के रूप में और दूसरे का बच्चों के सोने के कमरे के रूप में किया जायगा ;

(ग) ठेकेदार खेलने के कमरे में पर्याप्त संख्या में खेलखिलोने तथा सोने के कमरे में पर्याप्त संख्या में चारपाइयां और बिस्तरे देगा ।

(घ) शिशुकक्षों के निर्माण और अनुरक्षण का स्तर ऐसा होगा जैसा मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाय;

(7) अनुज्ञप्तिधारी, कर्मकारों, की संख्या या सेवा की शर्तों में कोई भी परिवर्तन अनुज्ञापन अधिकारी को अधिसूचित करेगा ।

26. **फीस**.—(1) धारा 7 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की मंजूरी के लिए संदाय की जाने वाली फीस नीचे विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार होगी, अर्थात :—

(i) यदि किसी दिन संविदा पर नियोजित किए जाने के लिए प्रस्थापित कर्मकारों की संख्या —

(क) 20 है	20/—रुपए
(ख) 20 से अधिक किन्तु 50 से अनधिक है	50/—रुपए
(ग) 50 से अधिक किन्तु 100 से अनधिक है	100/—रुपए
(घ) 100 से अधिक किन्तु 200 से अनधिक है	200/—रुपए
(ङ) 200 से अधिक किन्तु 400 से अनधिक है	400/—रुपए
(च) 400 से अधिक है	500/—रुपए

(2) धारा 12 के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीकरण की मंजूरी के लिए संदेय फीस नीचे विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार होगी ;

यदि किसी दिन ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारों की संख्या—

(क) 20 है	5.00 रुपए
(ख) 20 से अधिक किन्तु 50 से अनधिक है	12.50 रुपए
(ग) 50 से अधिक किन्तु 100 से अनधिक है	25.00 रुपए
(घ) 100 से अधिक किन्तु 200 से अनधिक है	50.00 रुपए
(ङ) 200 से अधिक किन्तु 400 से अनधिक है	100.00 रुपए
(च) 400 से अधिक है	125.00 रुपए

27. **अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता** :—नियम 23 के अधीन मंजूर या नियम 29 के अधीन नवीकृत की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति उस वर्ष के जिस में कि अनुज्ञप्ति मंजूर या नवीकृत की गई है 31 दिसम्बर तक प्रवृत्त रहेगी ।

28. **अनुज्ञप्ति का संशोधन**:—(1) नियम 23 के अधीन मंजूर या नियम 29 के अधीन नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति अच्छे और पर्याप्त कारणों से, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा संशोधित की जा सकती है ।

(2) वह ठेकेदार जो अनुज्ञप्ति को संशोधित कराना चाहता है, अनुज्ञापन प्राधिकारी को संशोधन की प्रकृति और उसके लिए कारण कथित करते हुए एक आवेदन पेश करेगा ।

(3) ( ) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदन को मंजूर कर लेता है तो वह आवेदक से उस रकम के लिए, यदि कोई हो, खजाना रसीद देने की अपेक्षा करेगा जिससे वह फीस, जो तब संदेय होती यदि अनुज्ञप्ति संशोधित रूप से मूलतः जारी की जाती, अनुज्ञप्ति के लिए मूलतः संदत्त फीस अधिशेष में है ।

(ii) आवेदक के अपेक्षित खजाना रसीद पेश करने पर अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार संशोधित की जायगी.

(4) जहां संशोधन के लिए आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अस्वीकृति के कारण अभिलिखित करेगा और उन्हें आवेदक को संसूचित करेगा ।

29. (1) प्रत्येक ठेकेदार अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए इसकी विधिमान्यता की समाप्ति से पूर्व अनुज्ञापन अधिकारी को आवेदन देगा ।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन प्ररूप सं० 7 में तीन प्रतियों में होगा और यह उस तारीख से आठ दिन अन्यून पूर्व दिया जायगा जिसको अनुज्ञप्ति समाप्त होती है और यदि आवेदन इस प्रकार दिया जाता है तो अनुज्ञप्ति ऐसी तारीख तक नवीकृत समझी जायेगी जब तक कि नवीकृत अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जाती है ।

(3) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रभार्य फीस वही होगी जो उसकी मंजूरी के लिए है :

परन्तु यदि नवीकरण के लिए आवेदन उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं होता तो ऐसे नवीकरण के लिए फीस अनुज्ञप्ति के लिए सामान्यतः सदेय फीस से 25 प्रतिशत अधिक्य में सदेय होगी :

परन्तु यह और कि उस दशा में जहां अनुज्ञापन अधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदन देर से पेश करना ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण था जो ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर थी, वह ऐसी अधिक्य में फीस के संदाय को कम या माफ, जैसा वह उचित, समझे कर सकता है ।

30. **राजपत्रीयकरण प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति का जारी करना:**—जहां पूर्ववर्ती नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या मंजूरी या नवीकृत अनुज्ञप्ति खो गई है, विरूपित हो गई है या घटनावश नष्ट हो गई हो वहां पांच रुपए की फीस संदत्त करने पर दूसरी प्रति मंजूर की जा सकती है ।

31. **प्रतिभूति का प्रतिदाय.**—(1) (i) अनुज्ञप्ति की कालावधि की समाप्ति पर, ठेकेदार यदि वह अपनी अनुज्ञप्ति को नवीकृत नहीं कराना चाहता, तो वह अनुज्ञापन अधिकारी को उसके द्वारा नियम 23 के अधीन निक्षिप्त प्रतिभूति के प्रतिदाय के लिए आवेदन दे सकता है ।

(ii) यदि अनुज्ञापन अधिकारी का समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्ति की शर्तों का भंग नहीं हुआ है या नियम 14 के अधीन प्रतिभूति या उसके किसी अंश के समपहरण के लिए कोई आदेश नहीं है तो वह आवेदक को प्रतिभूति का प्रतिदाय करने के लिए निदेश देगा ।

(2) यदि प्रतिभूति के किसी अंश का समपहरण करने के लिए निदेश देने वाला कोई आदेश है, तो समपहरण किए जाने वाली रकम की प्रतिभूति, निक्षेप में से कटौती कर ली जायगी और शेष, यदि कोई हो, आवेदक को प्रतिदाय कर दी जायगी ।

(3) प्रतिदाय के लिए आवेदन, यथासंभव आवेदन की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर निपटा दिया जायगा ।

अध्याय 4—अपील और प्रक्रिया

32. (1) (i) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन हर अपील अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में की जायगी और अपीली अधिकारी को स्वयं पेश की जायगी या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसे भेजी जायगी ।

(ii) ज्ञापन, अपील किए गए उस आदेश की एक प्रमाणित प्रति जिसके खिलाफ अपील की गई है और 10 रुपए की खजाना रसीद के साथ होगा ।

(2) ज्ञापन, उस आदेश की जिसके खिलाफ अपील की गई है, अपील के आधार संक्षिप्त रूप से और सुभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत उपवर्णित करेगा ।

33. (1) जहां अपील का ज्ञापन नियम 32 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुरूप न हो तो यह नामंजूर किया जा सकेगा या अपीली अधिकारी द्वारा नियत किए जाने वाले समय के भीतर संशोधन किए जाने के प्रयोजन के लिए अपीलार्थी को वापस किया जा सकेगा ।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन अपीली अधिकारी ज्ञापन नामंजूर कर देता है वह ऐसी नामंजूरी के लिए कारण अभिलिखित करेगा और अपीलार्थी को आदेश संसूचित करेगा ।

(3) जहां अपील का ज्ञापन ठीक है अपीली प्राधिकारी अपील स्वीकार करेगा और उस पर पेश किए जाने की तारीख पृष्ठांकित करेगा और अपील को अपील रजिस्टर कही जाने वाली इस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक में दर्ज करेगा ।

(4) (i) जब अपील स्वीकृत कर ली जाए तो अपीली अधिकारी यथास्थिति उस रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी या अनुज्ञापन अधिकारी के जिसके आदेश के खिलाफ अपील की गई है, अपील की सूचना भेजेगा और रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी या अनुज्ञापन अधिकारी अपीली अधिकारी को मामले का अभिलेख भेजेगा ।

(ii) अभिलेख की प्राप्ति पर, अपीली अधिकारी अपीलार्थी, अपील की सुनवाई के लिए ऐसी तारीख और समय पर उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए सूचना भेजेगा जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय ।

34. यदि सुनवाई के लिए नियत तारीख को अपीलार्थी उपस्थित नही होता है तो अपीली अधिकारी अपीलार्थी की हाजिरी के व्यतिक्रम के लिए अपील खारिज कर सकता है ।

35. (i) जहां कोई अपील नियम 34 के अधीन खारिज कर दी गई है, अपीलार्थी अपील के पुनः ग्रहण किए जाने के लिए अपीली अधिकारी को आवेदन कर सकेगा और जहां यह साबित कर दिया जाय कि जब अपील की सुनवाई के लिए पुकार हुई थी वह किसी पर्याप्त हेतुक द्वारा रोक लिया गया था, अपीली अधिकारी अपील को उसकी मूल संख्या पर प्रत्यावर्तित करेगा ।

(ii) ऐसा कोई आवेदन, जब तक कि अपीली अधिकारी पर्याप्त कारणों से समय नही बढ़ाता, खारिजी की तारीख के 30 दिनों के भीतर दिया जायगा ।

36. (1) यदि अपीलार्थी उस समय उपस्थित हो जब अपील की सुनवाई के लिए पुकार होती है तब अपीली प्राधिकारी अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता और किसी अन्य व्यक्ति को जो उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए समन किया गया है, को सुनने के लिए अग्रसर होगा और उस आदेश की, जिसकी खिलाफ अपील की गई है, या तो पुष्टि करते हुए, उलटते हुए या फेरफार करते हुए अपील पर निर्णय सुनायगा ।

(2) अपीली अधिकारी के निर्णय में, अवधारण के लिए प्रश्न उन पर विनिश्चय और विनिश्चय के लिए कारण कथित होंगे ।

(3) आदेश अपीलार्थी को संसूचित किया जायगा और उसकी प्रति उस रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी या अनुज्ञापन अधिकारी को, जिसके आदेश के खिलाफ अपील की गई, भेज दी जायगी ।

37. **फीस का संदाय :**

इन नियमों के अधीन संदेय सभी फीसें स्थानीय खजाने में "XXXII प्रकीर्ण–सामाजिक और विकासार्थ संगठन–अनुज्ञापन फीस (केन्द्रीय)" खाते के शीर्षक के अधीन संदत्त की जाएंगी और अभिप्राप्त रसीद यथास्थिति, आवेदन या अपील के ज्ञापन के साथ प्रस्तुत की जाएंगी ।

38. **प्रतियां :**

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अनुज्ञापन अधिकारी या अपीली अधिकारी के आदेश की प्रतियां, प्रत्येक आदेश के लिए दो रुपए फीस के संदत्त करने पर और संबंधित अधिकारी को आदेश की तारीख विनिर्दिष्ट करने वाला आवेदन देने पर, अभिप्राप्त की जा सकती हैं ।

अध्याय 5—संविदा श्रमिकों कल्याण और स्वास्थ्य

39. (1) अधिनियम की धारा 18 और 19 के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित सुविधाएं अर्थात् स्वास्थ्यप्रद पेय जल, शौचालयों और मूत्रालयों की पर्याप्त संख्या, कपड़े धोने की सुविधाएं और प्राथमिक उपचार की सुविधाएं ठेकेदार द्वारा विद्यमान स्थापनों की दशा में इन नियमों के प्रारम्भ होने से तीस दिन के भीतर और नये स्थापनों की दशा में उनमें संविदा श्रमिकों के नियोजन के प्रारम्भ से तीस दिन के भीतर दी जाएगी ।

(2) यदि ठेकेदार द्वारा, उपनियम (1) में वर्णित सुविधाओं में से कोई उसके लिए विहित कालावधि के भीतर नहीं दी जाती है तो वे उक्त उप-नियम में अधिकथित कालावधि की समाप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर मुख्य नियोजक द्वारा दी जाएगी ।

40. (1) ऐसे हर उस स्थान में जहां संविद् श्रमिकों का, उस स्थापन के कार्यकरण के संबंध में, जिसे यह नियम लागू होता है और जिसमें संविद् श्रमिकों का नियोजन तीन मास या अधिक तक बने रहने की संभावना है, रात को रुकने की अपेक्षा हो, ठेकेदार विद्यमान स्थापनों की दशा में नियमों के प्रवर्तन में आने के पन्द्रह दिन के भीतर और नये स्थापनों में संविद् श्रमिकों के नियोजन के प्रारम्भ से पन्द्रह दिन के भीतर विश्राम कक्ष या अन्य उपयुक्त आनुकल्पिक आवासों की व्यवस्था करेगा और उन्हें अनुरक्षित रखेगा ।

(2) यदि ठेकेदार, द्वारा उपनियम (1) में निर्दिष्ट सुख सुविधाएं विहित कालावधि के भीतर नहीं दी जाती हैं तो वे उक्त उपनियम में अधिकथित कालावधि की समाप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर मुख्य नियोजक द्वारा दी जाएगी ।

(3) स्त्री कर्मचारियों के लिए अलग कक्षों की व्यवस्था की जाएगी ।

(4) हर कक्ष में ताजी हवा के परिसंचरण द्वारा पर्याप्त संचालन सुनिश्चित करने और उसका अनुरक्षण करने के लिए प्रभावी और यथोचित व्यवस्था की जाएगी और यथोचित प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश की भी व्यवस्था की जाएगी और उसे अनुरक्षित रखा जाएगा ।

(5) विश्राम कक्ष या कक्षों या अन्य उपयुक्त आनुकल्पिक आवास ऐसी विमाओं के होंगे जिनमें विश्राम कक्ष का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3 मीटर × 2 मीटर जगह की व्यवस्था होगी ।

(6) विश्राम कक्ष या कक्षों या अन्य उपयुक्त आनुकल्पिक आवास इस प्रकार के सन्निर्मित होंगे जो गर्मी-हवा, वर्षा से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर सकें और उनकी चिकनी, सख्त और अभेद्य होगी ।

(7) विश्राम कक्ष या अन्य उपयुक्त आनुकल्पिक आवास स्थापन से सुविधाजनक दूरी पर होंगे और उनमें स्वास्थ्यप्रद पय जल का पर्याप्त प्रदाय होगा ।

41. (1) ऐसे हर स्थापन में जिसको यह नियम लागू होता है और जहां संविद् श्रमिकों के नियोजन के संबंध में कार्य छः महीने तक चलने की संभावना है और जहां सामान्यतः एक सौ या उससे अधिक संविद् श्रमिक नियोजित किए जाते हैं, ठेकेदार द्वारा ऐसे संविद् श्रमिकों के उपयोग के लिए विद्यमान स्थापन की दशा में नियमों के प्रवर्तन में आने की तारीख से साठ दिन के भीतर और नये स्थापनों की दशा में संविद् श्रमिकों के नियोजन के प्रारम्भ से 60 दिन के भीतर पर्याप्त कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी ।

(2) यदि ठेकेदार अधिकथित समय के भीतर कैंटीन की व्यवस्था नहीं कर पाता तो उसकी व्यवस्था मुख्य नियोजक द्वारा ठेकेदार को अनुज्ञाप्त समय की समाप्ति के साठ दिन के भीतर की जाएगी ।

(3) कैंटीन, यथास्थिति ठेकेदार या मुख्य नियोजक द्वारा दक्षतापूर्वक अनुरक्षित रखी जाएगी ।

42. (1) कैंटीन में कम से कम एक भोजन कक्ष रसोई, भण्डार कक्ष, पेन्ट्री और कर्मकारों तथा बर्तनों के धोने के लिए अलग-अलग स्थान होंगे ।

(2) (i) कैंटीन में, किसी व्यक्ति के आ सकने के हर समय में पर्याप्त प्रकाश होगा ।

(ii) फर्श और अन्दर की दीवारों चिकनी और अभेद्य सामग्री से बनी होंगी और अन्दर की दीवारों पर प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार सफेदी या रंग किया जाएगा :

परन्तु रसोई की भीतरी दीवारों पर हर चार महीने में सफेदी की जाएगी ।

(3) (i) कटीन की प्रसीमाएं साफ और स्वच्छ बनाई रखी जाएंगी ।

(ii) गंदा पानी यथोचित रूप से ढकी नालियों से निकाला जाएगा और उसे इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा ताकि गंदगी न हो सके ।

(iii) कूड़े करकट के संग्रहण और निपटाने के लिए यथोचित व्यवस्था की जाएगी ।

43. (1) भोजन गृह में एक बार, काम करने वाले संविद् श्रमिकों में से कम से कम 50 प्रतिशत श्रमिक आ सकें ।

(2) भोजनगृह के फर्श का क्षेत्रफल सर्विस काउंटर और मेजो तथा कुर्सियों को छोड़कर, किसी फर्नीचर द्वारा घेरे गए क्षेत्र को अपवर्जित करके, उपनियम (1) में यथाविहित भोजन करने वाले प्रति व्यक्ति के लिए 1 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा ।

(3) (i) भोजन कक्ष और सर्विस काउंटर का एक भाग विभाजित कर दिया जाएगा और महिला कर्मकारों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षित रखा जाएगा ।

(ii) महिलाओं के लिए धोने के स्थान अलग होंगे और एकांतता के लिए पर्दा लगा दिया जाएगा ।

(4) उपनियम (1) में यथाविहित जितने भोजन करने वालों को स्थान दिया जाना हो उनके लिए पर्याप्त संख्या में मेज-स्टूल, कुर्सिया या बेंच उपलब्ध होंगे ।

44. उपस्कर :

(1) (i) कटीन को दक्षता पूर्वक चलाने के लिए बर्तन क्राकरी, कटलरी, फर्नीचर और अन्य किसी उपस्कर की व्यवस्था और उनका अनुरक्षण किया जाएगा ।

(ii) कैंटीन में सेवा करने वाले कर्मचारियों के लिए यथाचित साफ वस्त्रों की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें बनाए रखा जाएगा ।

(2) (i) फर्नीचर, बर्तनों और अन्य उपस्कर को स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद अवस्था में बनाए रखा जाएगा ।

(ii) यदि सर्विस काउंटर की व्यवस्था की जाए तो उस पर चिकनी और अभेद्य सामग्री लगाई जाएगी ।

(iii) बर्तनों और उपस्कर को साफ करने के लिए यथोचित सुविधाओं, जिनमें पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी का प्रदाय भी सम्मिलित है, की व्यवस्था की जाएगी ।

45. **कीमतें संप्रदर्शित की जाएंगी :**

कटीन में दी जाने वाली भोज्य सामग्री, पेय पदार्थ और किसी अन्य चीज के प्रति भाग की कीमतें कैंटीन में सहजदृश्य रूप से संप्रदर्शित की जाएंगी ।

46. **दी जाने वाली भोज्य सामग्री :**

कैंटीन में दी जानेवाली भोज्य सामग्री और अन्य चीजें संविद् श्रमिकों की प्रसामान्य आदतों के अनुरूप होंगी ।

47. **कैंटीन को लाभ.**—हानि नहीं के आधार पर चलाई जाएगी परन्तु निम्नलिखित मदों को व्यय के रूप में नहीं लिया जाएगा, अर्थात् :—

(क) भूमि और भवन का किराया;

(ख) भवन और उपस्कर के, जिनकी कैंटीन में व्यवस्था की गई है, अवक्षय और अनुरक्षण का खर्च;

(ग) उपस्कर, जिसमें फर्नीचर, क्राकरी, कटलरी और बर्तन सम्मिलित हैं, के क्रय, मरम्मत और प्रतिस्थापन की लागत ;

(घ) जल प्रभार और प्रकाश तथा संचालन के लिए उपगत अन्य प्रभार ;

(ङ) फर्नीचर और उपस्कर जिसकी कैंटीन में व्यवस्था की गई है, की व्यवस्था और बनाए रखने पर व्यय की गई रकमों पर ब्याज ।

48. कैंटीन को चलाने के संबंध में प्रयुक्त लेखा पुस्तकें और रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज मांगे जाने पर निरीक्षक को पेश किए जाएंगे ।

49. कैंटीन से संबंधित लेखे की संपरीक्षा रजिस्ट्रीकृत लेखापालों और संपरीक्षकों द्वारा हर बारह मास में एक बार की जाएगी ।

50. **शौचालय और मूत्रालय :**

अधिनियम की परिधि में आने वाले प्रत्येक स्थापन में शौचालयों की व्यवस्था निम्नलिखित मापमान से की जाएगी अर्थात्—

(क) जहां महिलाएं नियोजित हों वहां प्रत्येक बीस महिलाओं के लिए कम से कम एक शौचालय होगा;

(ख) जहां पुरुष नियोजित हों वहां प्रत्येक बीस पुरुषों के लिए कम से कम एक शौचालय होगा;

परन्तु जहां पुरुषों या महिलाओं की संख्या 100 से अधिक हो वहां प्रथम 100 व्यक्तियों तक के लिए, यथास्थिति, प्रत्येक 20 पुरुषों या महिलाओं के लिए एक शौचालय और उसके पश्चात् प्रत्येक 30 व्यक्तियों के लिए एक शौचालय पर्याप्त होगा ।

51. प्रत्येक शौचालय ढका हुआ होगा और इस प्रकार घिरा होगा जिससे एकांतता रहे और उस में उचित दरवाजा और चिटकनियां होंगी ।

52. (i) जहां स्त्री-पुरुष दोनों ही प्रकार कर्मकार नियोजित हैं वहां शौचालय और मूत्रालय के प्रत्येक ब्लाक के बाहर कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली भाषा में, यथास्थिति, "केवल पुरुषों के लिए" या "केवल महिलाओं के लिए" का नोटिस संप्रदर्शित किया जाएगा।

(ii) नोटिस में यथास्थिति पुरुष या महिला की तस्वीर भी होगी।

53. किसी एक समय नियोजित पचास पुरुष कर्मकारों के लिए कम से कम एक और पचास महिला कर्मकारों तक के लिए एक मूत्रालय होगा।

परन्तु जहां, यथास्थिति, पुरुष या महिला कर्मकारों की संख्या 500 से अधिक हो वहां प्रथम 500 व्यक्तियों तक प्रति पचास पुरुषों या महिलाओं के लिए एक एक मूत्रालय होगा और उसके पश्चात् प्रत्येक 100 या उसके भाग के लिए एक एक मूत्रालय पर्याप्त होगा।

54. (1) शौचालय और मूत्रालय सुविधाजनक स्थान पर स्थित होंगे और स्थापन में सभी समय कर्मकारों की पहुंच के अन्दर होंगे।

2 (i) शौचालयों और मूत्रालयों में पर्याप्त प्रकाश होगा और उन्हें सभी समय स्वच्छ और आरोग्यकर अवस्था में बनाए रखा जाएगा।

(ii) फ्लश मलवहन प्रणाली से संबद्ध शौचालयों तथा मूत्रालयों से भिन्न शौचालय और मूत्रालय लोक स्वास्थ्य प्राधिकरनों को अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

55. जल की व्यवस्था नल द्वारा या अन्यथा इस प्रकार की जाएगी जिससे यह शौचालयों और मूत्रालयों में या उनके पास सुविधाजनक रूप से उपलब्ध हो सके।

56. (1) अधिनियम की परिधि में आने वाले प्रत्येक स्थापन में उसमें नियोजित सविद् श्रमिकों के उपयोग के लिए धोने की पर्याप्त और यथोचित सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें अनुरक्षित रखा जाएगा।

(2) पुरुष और महिला कर्मकारों के उपयोग के लिए पर्दे की अलग और पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

(3) ऐसी सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध होंगी और उन्हें स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद अवस्था में रखा जाएगा।

(4) धोने की सुविधाओं में बाल्टियों, और गिलासों या मगों की पर्याप्त संख्या में और प्रति नियोजित कर्मकार के लिए प्रति दिन 20 लिटर की दर से जल की व्यवस्था की जाएगी।

57. अधिनियम की परिधि के भीतर आने वाले प्रत्येक स्थापन में सामान्यतः नियोजित 150 सविद् श्रमिकों या उसके भाग के लिए एक पेटिका से अन्यून की दर पर प्राथमिक उपचार पेटिकाओं की इस प्रकार व्यवस्था की जाएगी और उन्हें अनुरक्षित रखा जाएगा जिससे वह काम के सभी घंटों में तत्काल उपलब्ध हो सकें।

58. (1) प्राथमिक उपचार पेटिका के सफेद तल पर एक रेडक्रास लगाया जाएगा और उस में निम्नलिखित उपस्कर होंगे, अर्थात्:—

क. उन स्थापनों के लिए जिनमें नियोजित संविद् श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक नहीं है—प्रत्येक प्राथमिक उपचार पेटिका में निम्नलिखित उपस्कर होंगे:—

(i) 6 छोटी निर्जीवाणुक ड्रेसिंग ।

(ii) 3 मध्यम आकार की निर्जीवाणुक ड्रेसिंग ।

(iii) 3 बड़े आकार की निर्जीवाणुक ड्रेसिंग ।

(iv) 3 बड़ी निर्जीवाणुक बर्न ड्रेसिंग ।

(v) 1 (30 मि. ली.) की शीशी जिसमें आयोडीन का 2 प्रतिशत एल्कोहाली विलयन हो

(vi) 1 (30 मि0 ली.) की शीशी जिसमें सालवोलाटाइल जिसके लेबल पर खुराक और प्रयोग की विधि उपदर्शित हो

(vii) 1 एक सर्प-दश लान्सेट ।

(viii) 1 (30 ग्राम) पोटेशियम परमेंगनेट क्रिस्टल की शीशी ।

(ix) एक कैंची ।

(x) महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा श्रम संस्था, भारत सरकार द्वारा जारी की गई प्राथमिक उपचार पत्रक की एक प्रति ।

(xi) एक शीशी जिसमे एम्पीरीन की सौ टिकियां (प्रत्येक 5 ग्रेन की) हो।

(xii) जले के लिए मरहम ।

(xiii) यथोचित शल्य चिकित्सीय प्रतिरोधी रोधी विलयन की एक शीशी।

ख. उन स्थापनो में जिनमें संविद् श्रमिकों की संख्या पचास से अधिक है प्रत्येक प्राथमिक उपचार पेटिका में निम्नलिखित उपस्कर होगे:—

(i) 12 छोटी निर्जीवाणुक ड्रेसिंग ।

(ii) 6 मध्यम आकार की निर्जीवाणुक ड्रेसिंग ।

(iii) 6 बड़े आकार की निर्जीवाणुक ड्रेसिंग ।

(iv) 6 बड़े आकार की निर्जीवाणुक बर्न ड्रेसिंग ।

(v) 6 (15 ग्राम) पैकेट निर्जीवाणुक रुई ।

[(vi) 1 (60 मि. लि.) शीशी जिसमें आयोडीन का दो प्रतिशत एलकोहाली विलयन हो ।

[(vii) 1 (60 मि. लि.) शीशी जिसमें सालवोलाटाइल जिसके लेबल पर खराक और प्रयोग की विधि उपदर्शित हो ।

(viii) 1 रोल आसजक प्लास्टर ।

(ix) 1 सर्पदेश लांसेट ।

[(x) 1 (30 ग्राम) पोटेशियम परमेंगनेट क्रिस्टल की शीशी

(xi) 1 कैंची ।

(xii) महानिदेशक, कारखाना मलाह सेवा श्रम संस्था, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए प्राथमिक उपचार पत्र की एक प्रति।

(xiii) एक शीशी जिसमें एस्प्रीन की सौ टिकियां (प्रत्येक 5 ग्रेन की) हो।

(xiv) जले के लिए मरहम।

(xv) यथोचित शल्य—चिकित्सीय प्रतिरोधी विसयन की एक शीशी।

(2) जब कभी आवश्यक हो उपस्कर की तत्काल आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था होगी।

59. प्राथमिक उपचार पेटिका में विहित अन्तर्वस्तु के सिवाय कुछ भी नहीं रखा जाएगा।

60. प्राथमिक उपचार पेटिका एक अलग उत्तरदायित्व पूर्ण ऐसे व्यक्ति के भारसाधन में रखी जाएगी जो स्थापन के कार्य के घंटों के दौरान सुगमता से उपलब्ध हो।

61. उन स्थानों में जहां नियोजित संविद् श्रमिकों की संख्या 150 या उससे अधिक हो, प्राथमिक उपचार पेटिका का भारसाधक व्यक्ति प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित कोई व्यक्ति होगा ?

अध्याय 6 मजदूरी

62. ठेकेदार मजदूरी की वे कालावधियां नियत करेगा जिनके बारे में मजदूरी संदेय होगी।

63. कोई मजदूरी कालावधि एक मासमे अधिक नहीं होगी।

64. प्रत्येक कर्मकार की मजदूरी, यदि मजदूरी कालावधि एक सप्ताह या एक पक्ष है तो मजदूरी कालावधि की समाप्ति से तीन दिन के भीतर और अन्य सभी मामलों में इस बात के अनुसार कि ऐसे स्थापनों में नियोजित कर्मकारों की सख्या एक हजार से अधिक है या नही, मजदूरी कालावधि की समाप्ति से दसवें दिन या सातवें दिन की समाप्ति से पूर्व संदत्त की जाएगी।

65. जहा किसी कर्मकार के नियोजन को ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से पर्यवसित कर दिया जाए वहा उसके द्वारा अर्जित मजदूरी उस दिन से, जिसके नियोजन पर्यवसित किया जाए, उत्तरवर्ती दिन को समाप्ति से पूर्व संदत्त की जाएगी।

66. मजदूरी के सभी संदाय कार्य दिवस को कार्य स्थल पर और कार्य समय के दौरान पहले से अधिसूचित तारीख को किए जाएगे। यदि काम मजदूरी कालावधि के समाप्ति से पूर्व पूरा हो जाए तो अतिम संदाय अंतिम कार्य दिवस के 48 घंटे के भीतर किया जाएगा।

67 प्रत्येक कर्मकार को देय मजदूरी सीधे उसे या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति को संदत्त की जाएगी।

68. समस्त मजदूरी चालू सिक्के या करेंसी या दोनों में संदत्त की जाएगी।

69. मजदूरी, उन कटौतियों के सिवाय जो केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए या मजदूरी सदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के अधीन अनुज्ञेय हों, किन्हीं कटौतियों के बिना संदत्त की जाएगी।

70. मजदूरी कालावधि और मजदूरी संवितरित करने के स्थान और समय की सूचना कार्या स्थान पर संप्रदर्शित की जाएगी और एक प्रति ठेकेदार द्वारा अभिस्वीकृति के अधीन मुख्य नियोजक को भेजी जाएगी ।

71. मुख्य नियोजक ठेकेदार द्वारा कर्मकारों को मजदूरी का संवितरण किए जाने के स्थान और समय पर अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा । ठेकेदार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि मजदूरी का वितरण ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में हो ।

72. (।) मजदूरी के संदाय के समय और स्थान और वस्तुतः किए गए संदाय की द्योतक प्रविष्टियां संदाय किए जाने के साथ साथ मजदूरी रजिस्टर में की जाएंगी ।

(।।) मुख्य नियोजक का प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रत्येक प्रविष्टि के सामने अपने आद्यक्षर करेगा और प्रविष्टियों के अन्तमें निम्नलिखित प्ररूप में प्रमाणपत्र अभिलिखित करेगा:

"प्रमाणित किया जाता है कि स्तंभ सं.----------में दर्शित रकम संबंधित कर्मकार को मेरी उपस्थिति में संदत्त की गई है ।"

अध्याय 7

रजिस्टर और अभिलेख

और आंकड़ों का संग्रहण

73. **ठेकेदारों का रजिस्टर.**—प्रत्येक मख्य नियोजक प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्थापन के बारे में प्ररूप 8 में एक रजिस्टर रखेगा ।

74. **नियोजित व्यक्तियों का रजिस्टर.**—प्रत्येक ठेकेदार प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्थापन के बारे में, जहां वह सविद् श्रमिकों को नियोजित करे, प्ररूप सं॰ 9 में एक रजिस्टर रखेगा ।

75. **नियोजन पत्र.**—(।) प्रत्येक ठेकेदार प्रत्येक कर्मकार को उस कर्मकार के नियोजन के प्रथम दिन, प्ररुप 10 में एक नियोजन पत्र जारी करेगा ।

(।।) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि जब कर्मकार काम पर नियोजित हो तो उसका नियोजन पत्र उसके पास हों ।

(।।।) नियोजन–पत्र को अद्यतन रखा जाएगा और विशिष्टियों में किसी परिवर्तन को उसमें प्रविष्ट किया जाएगा)।

76. **सेवा-प्रमाणपत्र:**—किसी भी कारण से नियोजन की समाप्ति पर ठेकेदार उस कर्मकार को, जिसकी सेवाए पर्यवसित कर दी गई है, प्ररुप स. 11 में एक सेवा प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

77. माटर राल, मजदूरी रजिस्टर, कटौती रजिस्टर और अतिकालिक रजिस्टर—

(1) उन स्थानों के बारे में जो मजदूरी सदाय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या न्यूनतम मजदूरों अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों से शासित होते हैं, निम्नलिखित रजिस्टर और अभिलेख जिन्हें उन अधिनियमों और उनके अधीन बधाए गए नियमों के अधीन ठेकेदार द्वारा नियोजक के रूप में रखे जाने की अपेक्षा है इन नियमों के अधीन ठेकेदार द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और अभिलेख मक्ष जाएंगे;

(क) मस्टर रॉल;

(ख) मजदूरी रजिस्टर;

(ग) कटौतियों का रजिस्टर;

(घ) अतिकालिक रजिस्टर ;

(ङ) जर्मानों का रजिस्टर;

(च) अग्रिमों का रजिस्टर ।

(2) उपनियम (1) के अधीन न आने वाले स्थापनों की बाबत निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे, अर्थात् :—

(क) प्रत्येक ठेकेदार एक मस्टर रॉल रजिस्टर और एक मजदूरी रजिस्टर क्रमशः प्ररूप स. 12 और प्ररूप से. 13 में रखेगा;

परन्तु जहां मजदूरी–कालावधि एक सप्ताह या कम है वहां ठेकेदार द्वारा एक संयक्त मस्टर रॉल–एवं–मजदूरी रजिस्टर प्ररूप 14 में रखा जाएगा ।

(ख) प्रत्येक ठेकेदार कर्मकारों को प्ररूप 15 में मजदूरी के संवितरन से कम से कम एक दिन पूर्व मजदूरी पर्चियां जारी करेगा ।

(ग) यथास्थिति मजदूरी रजिस्टर या मजदूरी–एवं मस्टर रॉल, में प्रत्येक कर्मकार के हस्ताक्षर या अगूठा–निशान लिए जाएंगे और उसमें की प्रविष्टियों को ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के आद्यक्षरों द्वारा अभिप्रमाणित किया जायगा और नियम 72 द्वारा यथा अपेक्षित मख्य नियोजक क प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित किया जाएगा ।

(घ) कटौतियो, जर्मानों और अग्रिमों के रजिस्टर—

नकसान या हानि के लिए कटौतियों का रजिस्टर, जुर्मानों का रजिस्टर और अग्रिमों का रजिस्टर प्रत्येक ठेकेदार द्वारा क्रमशः प्ररूप 16, 17 और 18 में रखे जाएंगे ।

(ङ) अतिकालिक रजिस्टर : –

अतिकालिक रजिस्टर प्रत्येक ठेकेदार द्वारा प्ररूप 19 में घंटों की संख्या और अतिकालिक काम के लिए संदत्त की गई मजदूरी, यदि कोई हो, का अभिलेख करने के लिए रखा जाएगा ।

78. प्रत्येक ठेकेदार अधिनियम और नियमों की संक्षिप्त अंग्रेजी और हिन्दी और कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा बोली जान वाली भाषा में ऐसे प्ररूप में, जैसा मुख्य श्रम आयक्त (केन्द्रीय) अनुमोदित कर, संप्रदर्शित करेगा ।

79. (1) सभी रजिस्टर और अन्य अभिलेख, जिनकी अधिनियम, और नियमों के अधीन रखे जाने की अपेक्षा है, जब तक कि अन्यथा उपबंध न किया गया हो, किसी कार्यालय या निकटतम सुविधाजनक भवन में काम के स्थान की प्रसीमाओं के भीतर या तीन किलोमीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान पर रखे जाएंगे ।

(2) ऐसे रजिस्टर अंग्रजी और हिन्दी में सुवाच्य रूप से रखे जाएंगे ।

(3) सभी रजिस्टर और अन्य अभिलेख उनमें की अन्तिम प्रविष्टि की तारीख से तीन कलेंडर वर्षों की कालावधि के लिए मूल रूप में परिरक्षित किए जाएंगे ।

(4) अधिनियम या नियमों के अधीन रखे गए रजिस्टर, अभिलेख और सूचनाएं मांग किए जाने पर निरीक्षक या अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी या इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे ।

80. (1)(i) मजदूरी की दरें, काम के घंटे, मजदूरी कालावधि, मजदूरी देने की तारीखें अधिकारिता रखने वाले निरीक्षकों के नाम और पते असदत्त मजदूरी के संदाय किए जाने की तारीख दर्शित करने वाली सूचनाएं अंग्रेजी में और हिन्दी में और कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में स्थापन और कार्य-स्थल के सहजदृश्य स्थानों पर यथा-स्थिति मुख्य नियोजकों या ठेकेदारों द्वारा संप्रदर्शित की जाएंगी।

(ii) सूचनाएं साफ और सुवाच्य दशा में सही रूप से रखी जाएंगी।

(2) सूचना की एक प्रति निरीक्षक को भेजी जाएगी और जब कभी कोई परिवर्तन हो वे उसे तत्काल संसूचित किए जाएंगे।

81. (1) प्रत्येक ठेकेदार अर्धवार्षिक विवरणी प्ररूप 20 में (दो प्रतियों में) भेजेगा ताकि त्रिमास की समाप्ति से 30 दिन अपश्चात् अनुज्ञापन अधिकारी के पास पहुंच जाए।

स्पष्टीकरण:—इस नियम के प्रयोजनों के लिए त्रिमास से "प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी, प्रथम अप्रैल, प्रथम जुलाई और प्रथम अक्तूबर से प्रारम्भ होने वाली 3 मास की कालावधि अभिप्रेत है।"

(2) रजिस्ट्रीकृत स्थापन का प्रत्येक मुख्य नियोजक प्रतिवर्ष एक विवरणी प्ररूप 21 में (दो प्रतियों में) ऐसे भेजेगा जिससे उस वर्ष के अन्त जिसके संबंध में वह हो, अनु-वर्ती 15 फरवरी के पश्चात् संबंधित रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के पास पहुंच जाए।

82. (1) बोर्ड, समिति, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या निरीक्षक या अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी को लिखित आदेश द्वारा कोई सूचना या संविद् श्रमिकों के संबंध में आंकड़े किसी ठेकेदार या मुख्य नियोजक से किसी भी समय मांगने की शक्ति होगी।

(2) कोई व्यक्ति जिससे उपनियम (1) के अधीन सूचना मांगी गई है ऐसा करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होगा।

प्ररूप 1

[नियम 17(1) देखिए]

संविद श्रमिकों को नियोजित करने वाले स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

1. स्थापन का नाम और अवस्थिति
2. स्थापन का डाक पता
3. मुख्य नियोजक का पूरा नाम और पता (व्यष्टियों की दशा में पिता का नाम दें)
4. प्रबन्धक या स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पूरा नाम और पता
5. ठेकेदारों और संविद श्रमिकों का विवरण

ठेकेदारों के नाम और पते	जिस काम में संविद श्रमिकों को नियोजित किया गया है या नियोजित किया जाना है उसका स्वरूप	प्रत्येक ठेकेदार के माध्यम से किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले संविद श्रमिकों की अधिकतम संख्या	संविद श्रमिकों के नियोजन को पर्यवसित करने की प्राक्कलित तारीख
1	2	3	4
1			
2			
3			

6. संलग्न खजाना रसीद का विवरण——————————

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि ऊपर दिया गया विवरण मेरे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

मुख्य नियोजक
मुद्रा और स्टाम्प

खजाना रसीद सं० और तारीख सहित आवेदन प्राप्ति का समय और तारीख

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का कार्यालय

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 2

[नियम 18(1) देखिए]

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

सं०

भारत सरकार

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का कार्यालय

संविद श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निम्नलिखित विशिष्टियों वाला एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

को एतद्द्वारा मंजूर किया जाता है।

ठेकेदार का नाम और पता	जिस काम में संविद् श्रमिकों को नियोजित किया गया है या नियोजित किया जाना है उसका स्वरूप	प्रत्येक ठेकेदार के माध्यम से किसी दिन नियोजित किये जाने वाले संविद् श्रमिकों की अधिकतम संख्या	संविद् श्रमिकों के नियोजन को पर्यवसित करने की प्राक्कलित तारीख
1	2	3	4

स्थान
तारीख

मुद्रा सहित रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 3

[नियम 18(3) देखिए]

स्थापनों का रजिस्टर

क्रम सं०	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या	रजिस्ट्रीकृत स्थापन का नाम और पता	मुख्य नियोजक का नाम और उसका पता	सीधे नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या	ठेकेदार का नाम और पता	ठेकेदार और संविदा श्रमिकों का विवरण			
						जिस काम में संविदा श्रमिक नियोजित किये गए हैं या नियोजित किए जाने है उसका स्वरूप	प्रत्येक ठेकेदार के माध्यम से किसी दिन नियोजित किए जाने वाले संविदा श्रमिकों की अधिकतम संख्या	संविदा श्रमिकों के नियोजन को पर्यवसित करने की प्राक्कलित तारीख	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्ररूप 4

[नियम 21 (1) देखिए]

अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

1. ठेकेदार का नाम और पता (जिसमें उसके पिता का नाम भी सम्मिलित हो)————————

2. स्थापन या उन स्थापनों का विवरण जहां संविद् श्रमिक नियोजित किये जाने हैं :—

स्थापन का नाम और पता	अधिनियम के अधीन स्थापन के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की संख्या और तारीख	मुख्य नियोजक का नाम और पता	उस प्रक्रिया, संक्रिया या काम का स्वरूप जिसमें स्थापन लगा हुआ है।	उस प्रक्रिया, संक्रिया या काम का स्वरूप जिसमें संविद श्रमिक नियोजित किये जाने हैं।	प्रस्थापित संविदा कार्य की कालावधि (प्रारम्भ करने और समाप्त करने की प्रस्थापित तारीख दीजिए)	कार्य स्थापन में ठेकेदार के अभिकर्त्ता या प्रबन्धक का नाम और पता	स्थापन में के संविद श्रमिकों के रूप में नियोजन के लिए प्रस्थापित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

3. क्या ठेकेदार ने गत पांच वर्षों में किसी अन्य स्थापन में काम किया है (यदि हां, तो मुख्य नियोजक, स्थापन और काम के स्वरूप का ब्यौरा)

4. संविदा कार्य का प्राक्कलित मूल्य

1	2	3	4	5	6	7	6

5. संलग्न खजाना रसीद की संख्या और तारीख

घोषणा : मैं एतद्द्वारा घोषित करता हू कि ऊपर दिये गये ब्यौरे मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।

आवेदक के हस्ताक्षर (ठेकेदार)

स्थान———————

तारीख———————

टिप्पण—आवेदन के साथ खजाना रसीद और मुख्य नियोजका में से प्रत्येक का प्ररूप 5 में प्रमाण पत्र होना चाहिए ।

(अनुज्ञापन अधिकारी के कार्यालय में भरा जाना है)

फीस/प्रतिभूति निक्षेप के लिए चालान के साथ आवेदन की प्राप्ति की तारीख

अनुज्ञापन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 5

[नियम 21(2) देखिए]

मुख्य नियोजक द्वारा दिए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्ररूप

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने आवेदक को अपने स्थापन में ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया है। मैं अपने स्थापन में आवेदक द्वारा संविद् श्रमिकों के नियोजन के बारे में संविद् श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और संविद् श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) नियम, 1970 के सभी उपबंध से आबद्ध होने का वचन देता हूं।

स्थान
तारीख

मुख्य नियोजक के हस्ताक्षर
स्थापन का नाम और पता

प्ररूप 6

[नियम 25(1) देखिए]

भारत सरकार

अनुज्ञापन अधिकारी का कार्यालय.....

अनुज्ञप्ति सं तारीख संदत्त फीस ————————रु०

अनुज्ञप्ति

एतद्द्वारा————————को संविद् श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अधीन अनुज्ञप्ति, उपाबन्ध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, दी जाती है।

अनुज्ञप्ति————————————————तक प्रवृत्त रहेगी।

तारीख

अनुज्ञापन अधिकारी के हस्ताक्षर
और मुद्रा

नवीकरण (नियम 29)

नवीकरण की तारीख नवीकरण के लिए समाप्ति की तारीख
संदत्त फीस

1.

2.

3.

अनुज्ञापन अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा तारीख

उपाबन्ध

अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:—

1. अनुज्ञप्ति अनन्तरणीय होगी

2. स्थापन म संविद् श्रमिको के रूप में नियोजित कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन————————से अधिक नही होगी।

3. नियमों के यथा उपबन्धित के सिवाय यथास्थिति, अनुज्ञप्ति देने के लिए या नवीकरण के लिए संदत्त फीस अप्रतिदेय होगी।

4. ठेकेदार द्वारा कर्मकारों को सदेय मजदूरी की दरे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की अनुसूची में विहित दरों से, जहां वे लागू होती हों कम नही होंगी, और जहां दरे करार, सेटिलमेण्ट या पंचाट द्वारा नियत की गई हो वहां नियत दरो से कम नही होंगी।

5. उन मामलों में जहां ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकार उसी प्रकार का काम करते हैं जैसा कि स्थापन के मुख्य नियोजक द्वारा सीधे नियोजित कर्मकार, वहां ठेकेदार के कर्मकारों के काम के घंटे और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो स्थापन के मुख्य नियोजक द्वारा सीधे नियोजित कर्मकारों को लागू होती हैं।

6. अन्य मामलों में ठेकेदार के कर्मकारों के काम के घंटे और सेवा की शर्तें वे होंगी जो इस निमित्त मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

7. प्रत्येक ऐसे स्थापन में जहां संविद् श्रमिकों के रूप में सामान्यतः 20 या अधिक स्त्रियां नियोजित की जाती हैं वहां उनके छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए उचित विमाओं के 2 कमरों की व्यवस्था होगी। ऐसे कमरों में से एक को बच्चों के लिए खेल के कमरे के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा और दूसरे को बच्चों के लिए शयन-कक्ष के रूप में। इस प्रयोजन के लिए ठेकेदार खेल के कमरे में पर्याप्त संख्या में खेल-खिलौने और शयन-कक्ष में पर्याप्त संख्या में चारपाइयां और बिस्तर देगा शिशु कक्ष के सन्निर्माण और अनुरक्षण का स्तर वह होगा जो इस निमित्त मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

8. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन अधिकारी को कर्मकारों की संख्या या काम की शर्तों में के किसी परिवर्तन की अधिसूचित करेगा।

प्ररूप 7

[नियम 29 (2) देखिए]

अनुज्ञप्तियों के नवीकरण के लिए आवेदन

1. केदार का नाम और पता

2. अनुज्ञप्ति की संख्या और तारीख

3. पूर्वतन अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख

4. क्या ठेकेदार की अनुज्ञप्ति को निलम्बित या प्रतिसंहृत किया गया था।

5. संलग्न खजाना रसीद की संख्या और तारीख

स्थान
तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

(अनुज्ञापन अधिकारी के कार्यालय में भरा जाना है)
खजाना रसीद के साथ आवेदन की प्राप्ति की तारीख सं० और तारीख।

अनुज्ञापन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 8

(नियम 73 देखिए)

भाग—1 ठेकेदारों की विशिष्टियों का रजिस्टर

1. मुख्य नियोजक का नाम और पता———————

2. स्थापन का नाम पता———————

क्रम सं०	ठेकेदार का नाम और पता	संविदा पर के काम का स्वरूप	संविदा काम की अवस्थिति	संविदा की कालावधि ——— से तक	संविदा काम की मात्रा/का मूल्य	ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारों की अधिकतम सं०	मुख्य नियोजक के पास प्रतिभूति निक्षेप
1	2	3	4	5	6	7	8

भाग 2—संविदा काम की प्रगति

ठेकेदार का नाम——————————— काम का स्वरूप

मजदूरी कालावधि	ठेकेदार द्वारा मजदूरी कालावधि के दौरान नियोजित कर्मकारों की अधिकतम संख्या	कर्मकार द्वारा अर्जित मजदूरी की रकम	कुल वेतन दिन को वस्तुत : संवितरित रकम

प्ररूप 9

(नियम 74 देखिए)

ठेकेदार द्वारा नियोजित कमकारों का रजिस्टर

ठेकेदार का नाम और पता———— उस स्थापन का नाम और पता जिसमें।जिसके अधीन संविदा पर काम किया जा रहा है ————

का का स्वरूप।की अवस्थिति मुख्य नियोजकों का नाम और पता————

क्रम सं०	कर्मकार का नाम और कुल नाम	आयु और स्त्री या पुरुष	पिता/पति का नाम	नियोजन का स्वरूप/पदनाम	कर्मकार के घर का स्थायी पता (ग्राम और तहसील/तालुक और जिला)	वर्तमान पता	नियोजन प्रारम्भ होने की तारीख	नियोजन के पर्यवसान की तारीख	कर्मकार के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्ररूप 10

(नियम 75 देखिए)

नियोजन-पत्र

ठेकेदार का नाम और पता———————————————

काम का स्वरूप/ की अवस्थिति

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन संविदा पर काम किया जा रहा है——————

मुख्य नियोजकों का नाम और पता——————

कर्मकार का नाम	रजिस्टर में नियोजित कर्मकार की क्रम संख्या	नियोजन का स्वरूप/ पदनाम	मजदूरी दर (मात्रानुपाती काम की दशा में एकक के विशिष्टियों सहित)	मजदूरी कालावधि	नियोजन की कालावधि	टिप्पणियां	ठेकेदार के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

प्ररूप 11

(नियम 76 देखिये)

सेवा-प्रमाणपत्र

ठेकेदार का नाम और पता———————————

काम का स्वरूप और उसकी अवस्थिति———————————

कर्मकार का नाम और पता———————————

आयु या जन्म-दिन———————————

पहिचान चिन्ह———————————

पिता/पति का नाम———————————

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन संविदा पर काम किया गया है———————————

मुख्य नियोजक का नाम और पता———————————

क्रम सं०	कुल कालावधि जिसके लिए नियोजित किया गया		उन दिनों की वास्तविक संख्या जिनमें काम किया	किए गए काम का स्वरूप	मजदूरी की दर (मात्रानुपाती काम की दशा में एकक की विशिष्टियों सहित	कालावधि के दौरान कर्मकार द्वारा अर्जित कुल मजदूरी	की गई स्कूल कटौती, यदि कोई हो	कुल वस्तुत : मजदूरी	टिप्पणियां
	तक								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ठेकेदार के हस्ताक्षर

प्ररूप 12

[नियम 77 (2) (क) देखिए]

मस्टर रोल

ठेकेदार का नाम और पता——————
काम का स्वरूप और उसकी अवस्थिति————

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन संविदा पर काम किया जा रहा है————
मुख्य नियोजक का नाम और पता————
————मास के लिए

क्रम सं०	कर्मकार का नाम	पिता/पति का नाम	स्त्री/पुरुष	तारीख					टिप्पणियां
				1	2	3	4	5	

प्ररूप 13

[नियम 77(2)(क) देखिए]

मजदूरी का रजिस्टर

ठेकेदार का नाम और पता ————————————

काम का स्वरूप और अवस्थिति ————————————

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिस अधीन संविदा पर काम किया जा रहा है ————

मुख्य नियोजक का नाम और पता————————

मजदूरी कालावधि : पाक्षिक
मासिक

क्रम सं०	कर्मकार का नाम	ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारो के रजिस्टर में क्रम सं०	पदनाम/किए गए काम का स्वरूप	काम किए गए दिनों की संख्या	मजदूरी की दर	किए गए काम के एकक	मात्रानुपाती दर	अर्जित मजदूरी की रकम		
								आधारिक मजदूरी	महंगाई भत्ता	अति कालिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

अन्य नकद संदाय जिसमें संदायों का स्वरूप उपदर्शित	कुल जोड़	कुल कटौतियां	संदत्त शुद्ध रकम	संदाय का समय और उसकी तारीख	संदाय का स्थान	कर्मचारियों के हस्ताक्षर/अंगूठा-निशान	ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के आद्यक्षर	मुख्य नियोजक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के आद्यक्षर
12	13	14	15	16	17	18	19	20

प्ररूप 14

[नियम 77(2) (क) देखिए]

मजदूरी—एवं—मस्टर रोल के रजिस्टर का प्ररूप

ठेकेदार का नाम और पता ————————

काम का स्वरूप और उसकी अवस्थिति ————————

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन संविदा पर काम किया जा रहा है ————

मुख्य नियोजक का नाम और पता————

मजदूरी कालावधि : साप्ताहिक

————से————तक

क्रम सं०	ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारों के रजिस्टर में क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम/काम का स्वरूप	दैनिक उपस्थिति/किए गए एकक 2 3 4 5 6 7	कुल हाजिरी किए गए काय के एकक	मजदूरी की दैनिक दर/मात्रानपाती दर	अर्जित मजदूरी की रकम			
							आधारिक मजदूरी	महंगाई भत्ता	अतिकालिक	अन्य नकद सदाय जिसमें सदायों का स्वरूप उपदर्शित हो ।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

कुल कटौतियां	संदत्त शुद्ध रकम	संदाय का समय और उसकी तारीख	संदाय का स्थान	कर्मकारों के हस्ताक्षर/ अंगूठा-निशान	ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के आद्यक्षर	मुख्य नियोजक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के आद्यक्षर ।
12	13	14	15	16	17	18

प्ररूप 15

[नियम 77 (2) (ख) देखिए]

मजदूरी पर्ची

ठेकेदार का नाम और पता ————————————

काम का स्वरूप और उसकी अवस्थिति ————————————

कर्मकार का नाम और पिता का नाम ————————————

स्त्री/पुरुष और पहचान ————————————

टोकन/टिकट सं० ————————————

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन संविदा पर काम किया जा रहा है ————

मुख्य नियोजक का नाम और पता ————

———— सप्ताहक/पक्ष/मास के लिए

काम किए गए दिनों की सं०	दैनिक मजदूरी की दर/मात्रानुपाती दर ।	मात्रानुपाती दर वाले कर्मकारों की दशा में किए गए एककों की संख्या	वह तारीख जिसको अतिकालिक किया गया	अतिकालिक घंटे और अतिकालिक मजदूरी की रकम ।	संदेय सकल मजदूरी ।	कटौती, यदि कोई हो ।	वस्तुतः संदत्त मजदूरी	ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
—	..	..					..	..

प्ररूप 16

[नियम 77 (2) (ग) देखिए]

नुकसान या हानि के लिए कटौतियों का रजिस्टर

ठेकेदार का नाम और पता ——————————

काम का स्वरूप और उसकी अवस्थिति ——————————

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन संविदा पर काम किया जा रहा है ——————

मुख्य नियोजक का नाम और पता——————

क्रम सं०	कर्मकारों का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	नुकसान/हानि की विशिष्टियां	नुकसान की तारीख	क्या कर्मकार ने, कटौती के विरुद्ध कारण बताया था	उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में कर्मचारी का स्पष्टीकरण सुना गया था।	अधिरोपित कटौती की रकम	किस्तों की संख्या	वसूली की तारीख		टिप्पणियां
										प्रथम किस्त	अन्तिम किस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रपत्र 17

[नियम 77 (2) (घ) देखिए]

जुर्मानों का रजिस्टर

ठेकेदार का नाम और पता ————————

काम का स्वरुप और उसकी अवस्थिति ————————

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन संविदा पर काम किया जा रहा है————

मुख्य नियोजक का नाम और पता————

क्रम सं०	कर्मकारों का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	कार्य/लोप जिसके लिए जुर्माना किया गया।	अपराध की तारीख	क्या कर्मचारी कटौती के विरुद्ध कारण बताया था।	उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में कर्मचारी का स्पष्टीकरण सुना गया था (ठेकेदारों की दशा में)	मजदूरी की दर	अधिरोपित जुर्माने की रकम।	वह तारीख जिसको जुर्माना वसूल किया गया।	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
—	..	..	..					.	..	..	..
—	..	..	..					..	..	..	..

प्ररूप 18

[नियम 77(2) (घ) देखिए]

.. अग्रामों का रजिस्टर

ा] ——————

ा की अवस्थिति ——————

उस स्थापन का काम और पता जिसमें/जिसके अधीन संविदा पर काम किया जा रहा है ——————

मुख्य नियोजक का नाम और पता——————

म सं०	नाम	पिता का नाम या पति का नाम।	नियोजन का स्वरूप।	एक मजदूरी कालावधि के दौरान उपार्जन।	अग्रिम की तारीख और रकम।	वे प्रयोजन जिनके लिए अग्रिम दिया गया।	उन किश्तों की संख्या जिनमें अग्रिम का प्रतिसंदाय किया जाना है।	स्थगन करने मंजूरी देने की तारीख के साथ प्रतिसंदत्त किश्तों की रकम।	वह तारीख जिसको कुल रकम का संदाय किया गया।	कर्मकार के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	..	..				..			..	..
—	..	..				..			..	..

प्ररूप 19

[नियम 72 (क) देखिए]

अतिकाल का रजिस्टर

ठेकेदार का नाम और पता ——————

काम का स्वरूप और उसकी अवस्थिति ——————

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन संविदा पर काम किया जा रहा है ——————

मुख्य नियोजक का नाम और पता ——————

क्रम सं०	कर्मकार का नाम	पिता/पति का नाम	स्त्री/पुरुष	पद नाम और विभाग	वह तारीख जिसको अतिकालिक काम किया गया था।	प्रत्येक अवसर पर अतिकालिक मजदूरी।
1	2	3	4	5	6	7
—	..		..			..
—	..		..			..
—	..		..			..

किया गया कुल प्रतिकालिक या मात्रानुपाती दरों की दशा में उत्पादन ।	प्रसामान्य घंटे	प्रसामान्य दर	प्रतिकालिक दर	प्रसामान्य उपार्जन	प्रतिकालिक उपार्जन	कुल उपार्जन	वह तारीख जिसको प्रतिकालिक संदत्त किया गया ।
8	9	10	11	12	13	14	15

प्ररूप 20

[नियम 81 (1) देखिए]

——को समाप्त होने वाले अर्धवर्ष के लिए ठेकेदार द्वारा अनुशासन अधिकारी को भेजी जाने वाली विवरणों —

1. ठेकेदार का नाम और पता

2. मुख्य नियोजक का नाम और पता

3. स्थापन का नाम और पता

4. संविदा की कालावधि———— से ————तक

5. उन दिनों की संख्या जिनको अर्धवर्ष के दौरान संविद् श्रमिक नियोजित किया गया था

6. अर्धवर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित संविद् श्रमिकों की अधिकतम संख्या

पुरूष ————

स्त्रियां ————

बच्चे ————

7. (i) प्रति दिन काम के प्रसामान्य घंटे

(ii) (क) क्या साप्ताहिक अवकाश रखा जाता है

(ख) यदि हां तो क्या इसके लिए संदाय किया गया था

(iii) विश्राम अन्तराल की विशिष्टियां और साप्ताहिक समय— विस्तार

(iv) अतिकालिक मजदूरी की दर

(v) अर्धवर्ष के दौरान किए गए अतिकालिक के श्रम घंटों की संख्या

8. निम्नलिखित के द्वारा किए गए श्रम दिनों की कुल संख्या

पुरूष

स्त्रियां

बच्चे

9. संदत्त मजदूरी की कुल रकम

पुरूष

स्त्रियां

बच्चे

10. यदि मजदूरी से कोई कटौतियां की गई हों तो उनकी कुल रकम

पुरुष

स्त्रियां

बच्चे

11. क्या ठेकेदार ने निम्नलिखित की व्यवस्था की है—

(i) कैंटीनें

(ii) विश्राम कक्ष

(iii) पेयजल

(iv) शिशुकक्ष

(v) प्राथमिक उपचार

(यदि उत्तर—'हां' है तो व्यवस्थित स्तरों को संक्षेप में कथित करें)

स्थान :

तारीख :

ठेकेदार के हस्ताक्षर

प्रारूप 21

[नियम 81 (2) देखिए]

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को भेजी जाने वाली मुख्य नियोजक की वार्षिक विवरणी

31 दिसम्बर————————को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विवरणी

(1) मुख्य नियोजक का पूरा नाम और पता

(2) स्थापन का नाम

(क) जिला

(ख) डाक पता

(ग) संक्रिया/उद्योग/किए जा रहे कार्य का स्वरूप

(3) प्रबन्धक या स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पूरा नाम

(4) वर्ष के दौरान किसी भी दिन संविद् श्रमिकों के रूप में नियोजित कर्मकारों की अधिकतम संख्या

(5) वर्ष के दौरान उन दिनों की कुल संख्या जिनको संविद् श्रमिक नियोजित किया गया था।

(6) वर्ष के दौरान संविद् श्रमिक द्वारा काम किए गए श्रम दिनों की कुल संख्या

(7) वर्ष के दौरान किसी भी दिन सीधे नियोजित कर्मकारों की अधिकतम संख्या

(8) वर्ष के दौरान उन दिनों की कुल संख्या जिनको सीधा नियोजित श्रमिक नियोजित किया गया था।

(9) सीधे नियोजित कर्मकारों द्वारा कार्य किए गए दिनों की कुल संख्या

(10) उस काम का स्वरूप जिस पर संविद् श्रमिक को नियोजित किया गया था।

(11) ठेकेदारों द्वारा किए गए प्रतिभूति निक्षेपों की रकम (ठेकेदार के अनुसार दीजिए)

(12) ठेकेदारों के नामों सहित, यदि कोई हों, समपहृत किए गए प्रतिभूति निक्षेपों की रकम

(13) क्या स्थापन के प्रबन्धतंत्र, इसकी अवस्थिति या रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण के समय रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के प्ररूप में दी गई किन्हीं अन्य विशिष्टियों में कोई परिवर्तन हुआ है। यदि हां, तो किस तारीख से।

मुख्य नियोजक

स्थान----------

तारीख----------

[सं० 11(14)/70-एल० डब्ल्यू० 7(1) कांट]

विद्या प्रकाश, उप सचिव।

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1970

सा० का० नि० 88.—संविधान की धारा 309 में परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा रेल बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम :—(1) ये नियम रेल बोर्ड सचिवालय सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हो जायेंगे ।

2. रेल बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 में ;

(क) नियम 2 के खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात् :—

"(ङ) "चयन सूची" से अनसूची में अन्तर्विष्ट विनियमों के अन्तर्गत तैयार की गयी चयन सूची अभिप्रेत है ";

(ख) नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"8. प्रवरण ग्रेड, उपनिदेशक ग्रेड और ग्रेड I में भर्ती :—

(1) प्रवरण ग्रेड में रिक्तियां उपनिदेशक ग्रेड के उन स्थायी अधिकारियों की ज्येष्ठता का यथावश्य ध्यान रखते हुए, योग्यता के आधार पर प्रवरण द्वारा भरी जायेंगी जो उस ग्रेड I में साथ मिलाकर पांच वर्ष से अन्यून की अनुमोदित सेवा कर चुके हों ।

(2) उपनिदेशक ग्रेड में रिक्तियां ग्रेड I के उन स्थायी अधिकारियों की ज्येष्ठता का यथावत ध्यान रखते हुए, योग्यता के आधार पर प्रवरण द्वारा भरी जायेगी जो उस ग्रेड में तीन वर्ष से अन्यून की अनमोदित सेवा कर चुके हों ।

(3) ग्रेड I में रिक्तियां अनुभाग अधिकारी ग्रेड के उन स्थायी अधिकारियों की ज्येष्ठता का यथावत ध्यान रखते हुए, योग्यता के आधार पर प्रवरण द्वारा भरी जायेंगी, जो उस ग्रेड में 10 वर्ष से अन्यून की अनुमोदित सेवा कर चुके हों । इस उपनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अनुमोदित सेवा का सेवा काल आयोग की सहमति से व्यक्ति विशेष के मामलों में शिथिल किया जा सकेगा ।

परन्तु यह कि नियत दिन से सूर्व अनभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त किसी व्यक्ति पर यदि इस उपनियम के अधीन, ग्रेड I में प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, तो उक्त दिन से पूर्व उस ग्रेड में उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों की बाबत भी, इस बात के होते हुए भी कि उन्होंने उस ग्रेड में 10 वष की अनमोदित सेवा न की हो, विचार किया जायेगा ;

परन्तु यह और है कि नियत दिन से पूर्व आशुलिपिक के कोटा में अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड I का कोई अधिकारी, जो प्रथम परन्तुक के अधीन रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड I में प्रोन्नति के लिए विचार किये जाने के लिए पात्र किसी

भी स्थायी अनुभाग अधिकारी से ज्येष्ठ हो, तो वह, इस बात के होते हुए भी कि उस की अनुभाग अधिकारी ग्रेड में अधिष्ठायी रूप में नियुक्ति नहीं हुई है, ऐसी प्रोन्नति के लिए विचार किये जाने के लिए भी पात्र होगा ।

(4) प्रवरण ग्रेड, उपनिदेशक ग्रेड और ग्रेड I में अधिष्ठायी नियुक्तियां तत्सम्बन्धी ग्रेड के अस्थायी अधिकारियों की ज्येष्ठता के क्रम से की जायेंगी सिवाय उस दशा को छोड़कर जब लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी व्यक्ति को उसकी बारी आने पर ऐसी नियुक्ति के लिए योग्य न समझा गया हो ।

टिप्पणी 1:—इस नियम के प्रयोजन के लिए, नियम 9 के उपनियम (3) के अधीन अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड I के अधिकारियों की दशा में अनुभाग अधिकारी ग्रेड में "अनुमोदित सेवा" में रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड I में अनुमोदित सेवा की कालावधि भी सम्मिलित होगी ।

टिप्पणी 2:—अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की दशा में, इस नियम के प्रयोजन के लिए "अनुमोदित सेवा" उस वर्ष की 1 जुलाई से गिनी जायेगी जिसमें अधिकारियों के नाम चयन सूची में सम्मिलित किये जाते हैं । अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती वाले व्यक्तियों की दशा में ऐसी सेवा प्रतियोगिता परीक्षा जिसके परिणामों पर ये भर्ती किये गये हों, के वर्ष के पश्चात भर्ती वर्ष की 1 जुलाई से गिनी जायेगी परन्तु यह तब जब कि यदि किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति करने में तीन मास से अधिक कोई विलम्ब हुआ हो, तो ऐसा विलम्ब उसकी अपनी किसी त्रुटि के कारण न हुआ हो ।

(ग) नियम 14 के उप नियम (3) में "1. प्रवरण ग्रेड, उप-निदेशक ग्रेड और ट्रेड I" शीर्षक के अन्तर्गत मद (ii) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात :— "(ii) अस्थायी अधिकारी —

नियत दिन के पश्चात किसी ग्रेड में नियुक्त अस्थायी अधिकारियों की पारम्परिक ज्येष्ठता, ऐसी नियुक्ति के लिए उनके प्रवरण के क्रय में निर्धारित की जायेगी ।

[सं० ई० आर० बी० I 69 आर० आर० 1/2]

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1969

सा० का० नि० 2374.—संविधान की धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) ये नियम रेल बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हो जायेंगे ।

2. **परिभाषाएं**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से किसी ग्रेड के संबंध में उस ग्रेड में नियुक्तियां करने के लिए भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द—1 के उपबंधों के अधीन सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ख) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको ये नियम प्रवृत्त हों ;

(ग) "अनुमोदित सेवा" से किसी ग्रेड के संबंध में उस ग्रेड में दीर्घकालिक नियुक्ति के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात उस ग्रेड में की गई सेवा की कालावधि या कालावधियां अभिप्रेत हैं और उसमें कोई वह कालावधि या कालावधियां भी सम्मिलित हैं जिसके दौरान कोई अधिकारी उस ग्रेड में ड्यूटी पद धारण करता यदि वह छुट्टी पर न होता या ऐसे पद को धारण करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होता ;

(घ) "अधिकृत स्थायी पद संख्या" से किसी ग्रेड के संबंध में उस ग्रेड में स्थायी अविनिर्दिष्ट पदों की संख्या अभिप्रेत है जिन पर अधिष्ठायी नियुक्तियां की जा सकेंगी ।

(ङ) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(च) "सीधी भर्ती वाला व्यक्ति" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा से भिन्न आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती किया गया हो ;

(छ) "ड्यूटी पद" से किसी ग्रेड के संबंध में उस ग्रेड का स्थायी या अस्थायी पद अभिप्रेत है ;

(ज) "ग्रेड" से नियम 3 में विनिर्दिष्ट ग्रेडों में से कोई भी ग्रेड अभिप्रेत है;

(झ) "दीर्घ कालिक नियुक्ति" से बिल्कुल अस्थायी या तदर्थ नियुक्ति, जैसे विनिर्दिष्ट कालावधि की छुट्टी या अन्य स्थानीय रिक्ति में नियुक्ति से सुभिन्न किसी अनिश्चित कालावधि के लिए नियुक्ति अभिप्रेत है ;

(ञ) "स्थायी अधिकारी" से किसी ग्रेड के संबंध में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस ग्रेड में अधिष्ठायी रिक्ति पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किया गया हो ;

(ट) "परिवीक्षाधीन" से अधिष्ठायी रिक्ति में या पर किसी ग्रेड में परिवीक्षा पर नियुक्त सीधी भर्ती वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ठ) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;

(ड) "चयन सूची" से प्रवरण ग्रेड उपनिदेशक ग्रेड, ग्रेड I या अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड के संबंध में यथास्थिति, नियम 8 के उपनियम (5) के अनुसार या अनुसूची में अन्तर्विष्ट विनियमों के अन्तर्गत तैयार की गई प्रवरण-सूची अभिप्रेत है ;

(ढ) "सेवा" से रेल बोर्ड सचिवालय सेवा अभिप्रेत है ;

(ण) "अस्थायी अधिकारी" से किसी ग्रेड के संबंध में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस ग्रेड में ऐसी नियुक्ति के लिए अपने नियमित रूप से अनुमोदित हो जाने के आधार पर अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्ति धारण कर रहा हो ।

3. **सेवा की संरचना** (1) सेवा में, निम्न प्रकार से वर्गीकृत चार ग्रेड होंगे अर्थात :—

ग्रेड	वर्गीकरण]
(i) **प्रवरण ग्रेड** : रेल बोर्ड के संयुक्त निदेशक/उप रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड में ऐसे पद जो रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर धारित किये जायें ।	बोर्ड सचिवालय सेवा वर्ग I
(ii) (क) **उपनिदेशक का ग्रेड** : बोर्ड के उपनिदेशकों के ऐसे पद जो रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर धारित किये जाएँ ।	
(ख) ग्रेड I सहायक निदेशक और अवर सचिव ।	
(iii) **अनुभाग अधिकारी ग्रेड** :	रेल बोर्ड सचिवालय सेवा वर्ग II अनुसचिवीय रेल बोर्ड सचिवालय सेवा वर्ग III अनुसचिवीय

(4) **सहायक ग्रेड**—

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी अनुभाग अधिकारी जो नियत दिन से ठीक पूर्व तत्समय विद्यमान पुनर्संगठन और प्रबलन स्कीम में रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड II के सदस्य थे और जिन्होंने 1 जुलाई, 1959 से गठित विलीन अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वर्ग I हैसियत का निर्वाचन कर लिया है, अपनी विद्यमान वर्ग I हैसियत में बने रहेंगे ।

(3) प्रवरण ग्रेड, उपनिदेशक ग्रेड, ग्रेड I और अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पद राजपत्रित पद होंगे और सहायक ग्रेड में अराजपत्रित पद होंगे ।

4. **सेवा की प्राधिकृत स्थाई पद संख्या और अस्थाई पद संख्या**:—(1) नियत दिन को सेवा के विभिन्न ग्रेडों में प्राधिकृत स्थायी पद संख्या निम्न प्रकार से होगी, अर्थात :—

प्रवर ग्रेड	
संयुक्त निदेशक/उप सचिव	6
उपनिदेशक ग्रेड	5
ग्रेड I	
अवर सचिव और सहायक निदेशक	16
अनुभाग अधिकारी ग्रेड	91
सहायक ग्रेड	353

(2) नियत दिन के पश्चात् विभिन्न ग्रेडों की प्राधिकृत स्थायी पदसंख्या वह होगी जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार का रेल मंत्रालय अवधारित करे।

(3) केन्द्रीय सरकार का रेल मंत्रालय जैसा समय-समय पर आवश्यक लगे ग्रेड में अस्थायी वृद्धियां कर सकेगा।

5—**सेवा से ड्यूटी पदों का अपवर्जन.**—सामान्यतः ग्रेड I में भर्ती नियम 8 के उपनियम (3) के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी। परन्तु जहां कोई उपयुक्त अनुभाग अधिकारी उपलब्ध न हो वहां रेल सेवाओं में से * * * * किसी एक सेवा से कोई अधिकारी नियुक्त किया जा सकेगा और जहां किसी पद पर ऐसी नियुक्ति की जाएगी वहां वह पद रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड I से अपवर्जित समझा जाएगा और ऐसे पद को धारण करने वाला अधिकारी रेल सेवाओं को लागू नियमों से शासित होगा।

6—**सेवा के सदस्यों द्वारा ड्यूटी पद का धारण किया जाना**— किसी सेवा का हर ड्यूटी पद, जब तक कि नियम 5 के उपबंधों के अधीन अन्यथा अपवर्जित न कर दिया गया हो या किसी कारण से प्रास्थगित न कर दिया गया हो, सेवा के सदस्य द्वारा धारण किया जाएगा।

परन्तु ऐसे अनुदेशों के अध्यधीन जो केन्द्रीय सरकार का रेल मंत्रालय समय-समय पर जारी करे, रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड I के वे अधिकारी जिन्होंने उस ग्रेड में दो वर्ष से अन्यून की सेवा की है, अनुभाग अधिकारी ग्रेड में ड्यूटी पदों पर नियुक्त किये जा सकेंगे और रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड II के वे अधिकारी जिन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष से अन्यून की सेवा की है, सहायक ग्रेड में ड्यूटी पदों पर नियुक्त किये जा सकेंगे और ऐसी नियुक्ति की कालावधि दोनों दशाओं में एक वर्ष तक सीमित होने से अनुभाग अधिकारी और सहायक ग्रेडों में ड्यूटी पदों पर नियुक्त रेल बोर्ड सचिवालय सेवा आशुलिपिक सेवा के ऐसे अधिकारी उस सेवा में समय समय पर अनुज्ञेय ग्रेड वेतन लेते रहेंगे।

7—**सेवा में अधिष्ठायी नियुक्तियां** — सेवा में सभी अधिष्ठायी नियुक्तियां सेवा के समुचित ग्रेड में की जाएंगी न कि उस ग्रेड के किसी विनिर्दिष्ट ड्यूटी पद पर।

8—**प्रवरण ग्रेड, उपनिदेशक ग्रेड और ग्रेड 1 में भर्ती**— (1) प्रवरण ग्रेड में रिक्तियां उपनिदेशक ग्रेड के उन स्थायी अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जो उस ग्रेड में और ग्रेड 1 में साथ मिलाकर पांच वर्ष से अन्यून अनुमोदित सेवा कर चुके हों और जो उपनियम (5) के अधीन प्रवरण ग्रेड के लिए चयनसूची में सम्मिलित हो :

परन्तु बाद की चयन सूची में सम्मिलित कोई व्यक्ति उस ग्रेड में नियुक्त किये जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक पूर्व की चयन सूची में सम्मिलित सभी अधिकारियों की नियुक्ति न हो चुकी हो।

(2) उपनिदेशक ग्रेड में रिक्तियां, ग्रेड I के उन स्थायी अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जो उस ग्रेड में तीन साल से अन्यून अनुमोदित सेवा कर चुके हों और जो उपनियम (6) के अधीन उपनिदेशक ग्रेड के लिए चयन सूची में सम्मिलित हो :

परन्तु बाद की चयन सूची में सम्मिलित कोई व्यक्ति उस ग्रेड म नियुक्त किये जाने के लिए तब तक पात्र नही होगा जब तक पूर्व की चयन सूची मे सम्मिलित सभी अधिकारियों की नियुक्ति न हो चुकी हो।

(3) ग्रेड I मे रिक्तिया अनुभाग अधिकारी ग्रेड के उन स्थायी अधिकारियो की प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जो उस ग्रेड मे 10 वर्ष से अन्यून की अनुमोदित सेवा कर चुके हो और जो उपनियम (5) के अधीन ग्रेड I के लिए तैयार की गई चयन सूची मे सम्मिलित हों। इस उपनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अनुमोदित सेवा का सेवा काल आयोग की सहमति से व्यक्ति विशेष के मामलों में शिथिल किया जा सकेगा।

परन्तु बाद की चयन सूची में सम्मिलित कोई व्यक्ति उस ग्रेड मे नियुक्त किये जाने के लिए तब तक पात्र नही होगा जब तक पूर्व की चयन सूची में सम्मिलित सभी अधिकारियो की नियुक्ति न हो चुकी हो।

परन्तु यह और है कि नियत दिन से पूर्व अनुभाग अधिकारी ग्रेड मे नियुक्त किसी व्यक्ति पर यदि इस उपनियम के अधीन ग्रेड 1 में प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है तो उस दिन से पूर्व उस ग्रेड में उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों की बाबत भी इस बात के होते हुए भी कि उन्होने उस ग्रेड में 10 वर्ष की अनुमोदित सेवा न की हो, विचार किया जाएगा।

परन्तु यह और भी है कि नियत दिन से पूर्व आशुलिपिक के कोटे मे अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 1 का कोई अधिकारी जो, द्वितीय परन्तुक के अधीन रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड I में प्रोन्नति के लिए विचार किये जाने के लिए पात्र किसी भी स्थायी अनुभाग अधिकारी से ज्येष्ठ हो तो वह, इस बात के होते हुए भी कि उसकी अनुभाग अधिकारी ग्रड में अधिष्ठायी रुप से नियुक्ति नही हुई है, ऐसे प्रोन्नति के लिए विचार किये जाने के लिए भी पात्र होगा।

(4) प्रवरण ग्रेड, उपनिदेशक ग्रेड और ग्रेड I में अधिष्ठायी क्रम से की जाएगी सिवाय उस दशा को छोड़कर जब लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणो से किसी व्यक्ति को उसकी बारी आने पर ऐसी नियुक्ति के लिए योग्य न समझा गया हो।

(5) (क) उपनियम (1), (2) और (3) के प्रयोजनों के लिए प्रवरणग्रड उपनिदेशक ग्रेड और ग्रेड I के लिए चयन सूचियां तैयार की जायेंगी और समय समय पर पुनरीक्षित की जा सकेगी।

(ख) चयन सूचियों को तैयार करने और पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया वह होगी जो आयोग के परामर्श से केन्द्रीय सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा विहित की जाए।

(6) उपनियम (1), (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी उपनियम (1) के अधीन प्रवरण ग्रेड में या उप–नियम (2) के अधीन उपनिदेशक ग्रेड में या उपनियम (3) के अधीन ग्रेड 1 में प्रोन्नति के लिए विचार किये जाने के लिए पात्र कोई व्यक्ति यथास्थिति, प्रवरण ग्रेड उपनिदेशक ग्रड या ग्रेड 1 में तीन मास से अनधिक के अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकेगा, यदि सुसंगत ग्रेड के लिए चयन सूची में सम्मिलिति कोई अधिकारी उपलब्ध न हो या किसी कारण से ऐसी रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता हो।

टिप्पण—1. इस नियम के प्रयोजन के लिए, नियम 9 के उपनियम (3) के अधीन अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड I के अधिकारियों की दशा में अनुभाग अधिकारी ग्रेड में "अनुमोदित सेवा" में रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड I में अनुमोदित सेवा की कालावधि भी सम्मिलित होगी।

टिप्पण:—2. अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की दशा में इस नियम के प्रयोजन के लिए "अनुमोदित सेवा" उस वर्ष की 1 जुलाई से गिनी जाएगी जिसमें अधिकारियों के नाम चयन सूची में सम्मिलित किये जाते हैं। अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती वाले व्यक्तियों की दशा में ऐसी सेवा प्रतियोगिता परीक्षा जिसके परिणामों पर वे भर्ती किये गये हों, के वर्ष के पश्चात्वर्ती वर्ष को 1 जुलाई से गिनी जायेगी परन्तु यह तब जब कि यदि किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति करने में तीन मास से अधिक कोई विलम्ब हुआ हो तो ऐसा विलम्ब उसकी अपनी किसी त्रुटि के कारण न हुआ हो।

9. **अनुभाग अधिकारी और ग्रेड में भर्ती**— (1) उपनियम (3) के उपबंधों के अध्यधीन अनुभाग अधिकारी ग्रेड में अधिष्ठायी रिक्तियों पर नियुक्ति निम्नलिखित आधार पर की जाएगी, अर्थात्:—

(क) 25 प्रतिशत रिक्तियां, केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 और वर्ग 11 पर भर्ती के लिए आयोग द्वारा समय समय पर आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों पर सीधी भर्ती द्वारा ;

(ख) 75 प्रतिशत रिक्तियां, अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की अधिष्ठायी नियुक्ति द्वारा 1 ऐसी नियुक्तियों चयन सूची में ज्येष्ठता के क्रम से की जाएगी सिवाय उस दशा को छोड़कर जब लिखित में सम्मिलित किये जाने वाले कारणों से किसी व्यक्ति को उसकी बारी आने पर ऐसी नियुक्ति के लिये योग्य न समझा गया हो।

(2) उपनियम (4) के उपबंधों के अध्यधीन अनुभाग अधिकारी ग्रेड में अस्थायी नियुक्तियां अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी। तदुपरान्त बिना भरी हुई रह गई कोई भी रिक्तियां सहायक ग्रेड के स्थायी अधिकारियों जिन्होंने उस ग्रेड में 8 वर्ष से अन्यून की सेवा की हो की, ज्येष्ठता के आधार पर, अयोग्य व्यक्तियों के प्रतिक्षेपण के अध्यधीन, अस्थायी प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी। जब अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए चयन सूची में सम्मिलित व्यक्ति, रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध हो जाएं तो ऐसी प्रोन्नतियां पर्यवसित कर दी जाएंगी ;

परन्तु इस उपनियम के अधीन सहायक ग्रेड में नियत दिन से पूर्व नियुक्त किसी व्यक्ति की प्रोन्नति के लिये विचार किया जाए तो सहायक ग्रेड में उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों की बाबत भी इस बात के होते हुए भी कि उन्होंने उस ग्रेड में 8 वर्ष की अनुमोदित सेवा न की हो, ऐसी प्रोन्नति के के लिए विचार किया जाएगा।

(3) अनुभाग अधिकारी ग्रेड की अधिकृत स्थायी पद संख्या में से उस ग्रेड में दो पद रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड I के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित किए जाएंगे जो ऐसी नियुक्ति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा गुणागुण के आधार पर चुने गये हों।

(4) (क) केन्द्रीय सरकार का रेल मंत्रालय रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड I के अधिकारियों की अस्थायी नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड में आरक्षित किये जाने वाले ड्यूटी पदों की संख्या, यदि कोई हो, समय समय पर विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(ख) जहां उपनियम (3) या इस उपनियम के खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोटा में अनुभाग अधिकारी ग्रेड में रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड I का कोई अधिकारी, अनुभाग अधिकारी ग्रेड में ड्यूटी पद धारण करने के लिए उपलब्ध न हो तो ऐसे पद को किसी ऐसे अन्य अधिकारी की अस्थायी नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा जिसे अनुभाग अधिकारी ग्रेड में दीर्घकालिक नियुक्ति के लिए योग्य समझा गया हो।

(5) (क) उपनियम (1) के खण्ड (ख) और उपनियम (2) के प्रयोजनों के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिये चयन सूची तैयार की जाएगी और समय समय पर पुनरीक्षित की जा सकेगी।

(ख) चयन सूची के तैयार करने और पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया वह होगी जो अनुसूची में उपवर्णित है

(6) सहायक ग्रेड में अधिष्ठायी रिक्तियां निम्न आधार पर भरी जाएंगी अर्थात:—

(i) 50 प्रतिशत, इस प्रयोजन के लिये समय समय पर आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणामों के आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा नाम निदर्शन से।

(ii) 25 प्रतिशत सहायक ग्रेड के लिये चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की अधिष्ठायी नियुक्ति द्वारा। ऐसी नियुक्तियां चयन सूची मे ज्येष्ठता क्रम से की जाएगी सिवाय उस दशा को छोड़कर जब लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से कोई व्यक्ति उसकी बारी आने पर ऐसी नियुक्ति के लिये योग्य न समझा गया हो।

(iii) 25 प्रतिशत, इस प्रयोजन के लिये रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणामों पर क्षेत्रीय रेलों में काम करने वाले उपयुक्त कर्मचारीवृन्द की अन्तरण पर नियुक्ति द्वारा।

(7) सहायक ग्रेड में अस्थायी रिक्तियां सहायक ग्रेड के लिये चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी। तदुपरान्त बिना भरी हुई रह गई कोई भी रिक्तियां रेल बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड के स्थायी अधिकारियों, जिन्होंने उस ग्रेड में 8 वर्ष से अन्यून की अनुमोदित सेवा की हो, की, ज्येष्ठता के आधार पर, अयोग व्यक्तियों के प्रतिश्रपण के अध्याधीन, अस्थायी प्रोन्नति द्वारा भरी जाएगी। जब सहायक ग्रेड के लिये चयन सूची में सम्मिलित व्यक्ति रिक्तियों को भरने के लिये उपलब्ध हो जाए ऐसी प्रोन्नतियां पर्यवसित कर दी जाएंगी :

परन्तु यदि इस उपनियम के अधीन उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में नियत दिन से पूर्व नियुक्त किसी व्यक्ति की सहायक ग्रेड में प्रोन्नति के लिये विचार किया जाए तो उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों की बाबत भी, इस बात के होते हुए भी कि उन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा न की हो, विचार किया जाएगा।

(8) उपनियम (6) के खंड (ii) और उपनियम (7) के प्रयोजनों के लिये सहायक-ग्रेड के लिये चयन सूची तैयार की जाएगी और समय समय पर पुनरीक्षित की जा सकेगी। चयन सूची के तैयार करने और पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया वह होगी जो अनुसूची में उपवर्णित है।

(9) उपनियम (1) के खंड (क) और उपनियम (6) के खंड (i) में निर्दिष्ट प्रतियोगिता परीक्षाओं के नियम वे होंगे जो आयोग के परामर्श से केन्द्रीय सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित किये जाए।

(10) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में प्रोन्नति के लिये उपनियम (2) के अधीन विहित और सहायक ग्रेड में प्रोन्नति के लिये उपनियम (7) में विहित अनुमोदित सेवा के सेवा काल का केन्द्रीय सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा हर तीन वर्ष में एक बार पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि आवश्यक हो तो पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

10. अधिष्ठायी रिक्तियों में अस्थायी नियुक्तियां करने की शक्ति.— जब तक अधिष्ठायी नियुक्तियों को शासित करने वाले उपबंधों के अनुसार कोई अधिष्ठायी रिक्ति न भरी जाये जब तक वह रिक्ति अस्थायी रूप से, सुसंगत ग्रेड में अस्थायी रिक्तियों पर नियुक्तियों को शासित करने वाले उपबंधों के अनुसार भरी जा सकेंगी।

11—परिवीक्षा— (1) अनुभाग अधिकारी ग्रेड या सहायक ग्रेड में सीधी भर्ती वाला हरेक व्यक्ति आरंभ में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा और परिवीक्षा की कालावधि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की होगी।

(2) सीधी भर्ती वाले व्यक्ति से भिन्न हरेक व्यक्ति ग्रेड में प्रथम बार नियुक्त होने पर ऐसी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की कालावधि पर्यन्त परीक्षण पर रखा जाएगा।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे तो उपनियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा या परीक्षण की कालावधि किसी भी दशा में बढ़ाई या घटाई जा सकेगी, किन्तु परिवीक्षा या परीक्षण की बढ़ाई गई कुल कालावधि, सिवाय उस दशा के जहां अधिकारी के विरुद्ध विभागीय या विधिक कार्यवाहियों के कारण आवश्यक हों, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) सेवा के सदस्य से परिवीक्षा या परीक्षण के दौरान ऐसा प्रशिक्षण लेने की और ऐसी परीक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार का रेल मंत्रालय समय समय पर विहित करें।

12. परिवीक्षाधीन व्यक्तियों का पुष्टिकरण—(1) जब किसी ग्रेड में नियुक्त परिवीक्षाधीन व्यक्ति विहित परीक्षणों में उत्तीर्ण हो जाये नियुक्ति प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप से परिवीक्षा पूरी कर ले तो वह इस नियम के अधीन उस ग्रेड में पुष्टिकरण का पात्र होगा।

(2) जब तक परिवीक्षाधीन किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन स्थायी न कर दिया जाये या नियम 13 के अधीन सेवोन्मुक्त या प्रत्यावर्तित न कर दिया जाय उसकी परिवीक्षाधीन के रूप में हैसियत बनी रहेगी।

13. **परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को सेवान्मुक्त करना या प्रत्यावर्तन:** (1) कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसका केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है किसी भी समय बिना सूचना के सेवोन्मुक्त किये जाने के दायित्वाधीन होगा; यदि :—

(i) परिवीक्षा के दौरान उसके कार्य संपादन और आचरण के आधार पर सेवा में और आगे रखने के लिये उसे अयोग्य समझा जाए, या

(ii) उसकी राष्ट्रिकता, आयु, स्वास्थ्य या पूर्ववृत्त से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त होने पर नियुक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि वह सेवा का सदस्य होने के लिये आपात्र है या अन्यथा अयोग्य है।

(2) कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसका केन्द्रीय सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर धारणाधिकार है, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, उस पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।

(3) कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे, नियम 11 के उपनियम (1) में विहित परिवीक्षा की कालावधि के अन्त में या उस नियम के उपनियम (3) के अधीन बढ़ाई गई परिवीक्षा की कालावधि, यदि कोई हो, की समाप्ति पर पुष्टिकरण के लिये उपयुक्त न समझा जाये तो उसे, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अनुसार सेवान्मुक्त या प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

(4) किसी ग्रेड में "विचारण" पर सेवा का कोई सदस्य जिसे, नियम 11 के उपनियम (2) में विहित विचारण की कालावधि या उस नियम के उपनियम (3) के अधीन बढ़ाई गई कालावधि, यदि कोई हो, के दौरान या की समाप्ति पर उस ग्रेड में बनाये रखने के लिये योग्य न समझा जाए उसको यथास्थिति, उस ग्रेड से नीचे के ग्रेड में या रेल विभागों को प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

14. **ज्येष्ठता** (1) नियत दिन से पूर्व किसी ग्रेड में नियुक्त सेवा के सदस्यों की पारस्परिक ज्येष्ठता उस दिन से पूर्व यथा अवधारित उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता द्वारा विनियमित की जाएगी:

परन्तु यदि ऐसे किसी अधिकारी की ज्येष्ठता उस दिन से पूर्व विनिर्दिष्टत: अवधारित न हुई हो तो उसका अवधारण केन्द्रीय सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

(2) उपनियम (5) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए नियत दिन को अपने अपने ग्रेडों में सम्मिलित सभी स्थायी अधिकारी नियत दिन के पश्चात् किसी तारीख से उस ग्रेड में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे और नियत दिन को अपने अपने ग्रेडों में सम्मिलित सभी अस्थायी अधिकारी नियत दिन के पश्चात् किसी तारीख से उस ग्रेड में नियुक्त सभी अस्थायी अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे :

परन्तु नियत दिन से पूर्व की अधिष्ठायी रिक्तियों में परिवीक्षाधीन के रूप में किसी ग्रेड में नियुक्त अधिकारी, नियत दिन को उस ग्रेड के स्थायी अधिकारी के रूप में माने जाएंगे भले ही उनकी नियुक्ति की तारीख कोई भी हो।

(3) उपनियम (4) और (5) में यथा उपबंधित के सिवाय नियत दिन के पश्चात् किसी ग्रेड में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी, अर्थात्:—

1. (1) **प्रवरण ग्रेड, उपनिदेशक ग्रेड और ग्रेड 1—**

(i) स्थायी अधिकारी नियत दिन के पश्चात् किसी ग्रेड में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उसी क्रम में विनियमित की जाएंगी जिस क्रम में वे ग्रेड में नियुक्त हुए हैं।

(ii) अस्थायी अधिकारी:— नियत दिन के पश्चात् किसी ग्रेड में नियुक्त अस्थायी अधिकारियों की पारस्परिक जेयष्ठता उस क्रम में विनियमित की जाएगी जिस क्रम में उनके नाम उस ग्रेड के लिये चयन सूची में सम्मिलित किये गये हों।

2. **अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड.—**

(1) स्थायी अधिकारी—

(क) सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उस योग्यता क्रम में होगी जिस क्रम में वे उस प्रतियोगिता परीक्षा में रखे गये है, जिसके परिणामों पर उनकी नियुक्ति हुई थी। पूर्ववर्ती परीक्षा में भर्ती किये गये व्यक्ति पश्चात्वर्ती परीक्षा के व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे।

(ख) ग्रेड की चयन सूची से उस ग्रेड में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उस क्रम के अनुसार होगी जिस क्रम में उनकी ऐसी नियुक्ति हुई है।

(ग) क्षेत्रीय रेलों से भर्ती व्यक्तियों की सूची से किसी ग्रेड में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उस क्रम के अनुसार होगी जिस क्रम में उनकी ऐसी नियुक्ति हुई है।

(घ) किसी ग्रेड में सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों, ग्रेड के लिये चयनसूची से उस ग्रेड में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों और रेल विभागों से भर्ती किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता इस अनुसूची में इस निमित्त बनाये गये उपबंधों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

(ii) **अस्थायी या स्थापन अधिकारी**—ग्रेड के लिए चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उस क्रम में होगी जिस क्रम में वे चयन सूची में सम्मिलित किये गये हैं और वे उस ग्रेड के उन अन्य सभी अस्थायी अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे जिनकी पारस्परिक ज्येष्ठता उस क्रम में होगी जिस क्रम में वे उस ग्रेड में दीर्घकालिक नियुक्ति के लिए अनुमोदित किये गये है।

(4) किसी ग्रेड में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त सभी अधिकारी उस ग्रेड में अस्थायी या स्थापन नियुक्तियां धारण करने वाले अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे।

(5) उप नियम (3) या नियम 9 के उप नियम (4) के अधीन अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड। का अधिकारी, अनुभाग अधिकारी ग्रेड में उसकी ज्येष्ठता अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, उस ग्रेड में उस तारीख से नियुक्त किया

गया समझा जाएगा जिसको वह, ऐसी दीर्घकालिक नियुक्ति के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड I. में नियुक्त किया गया था और अनुभाग अधिकारी ग्रेड में उसकी ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जाएगी, अर्थात् :—

(क) यदि यह नियम 9 के उपनियम (3) के अधीन उस ग्रेड में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किया गया हो तो उसको उस ग्रेड में ज्येष्ठता, उस ग्रेड के उन सभी स्थायी अधिकारियों के नीचे समनुदेशित की जाएगी जो उस ग्रेड में अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची के ज्येष्ठता –कोटा से नियुक्त किये गये हों और उस ग्रेड में जिनकी अनुमोदित सेवा या सेवा काल बराबर या अधिक हो।

(ग) यदि वह नियम 9 के उपनियम (4) के अधीन अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त किया गया हो तो उसको उस ग्रेड में ज्येष्ठता, उस ग्रेड के उन सभी अस्थायी अधिकारियों के नीचे समनुदेशित की जाएगी जो उस ग्रेड में अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची के ज्येष्ठता–कोटा से नियुक्त किये गये हों और उस ग्रेड में जिनकी अनुमोदित सेवा का सेवा काल बराबर या अधिक हो। परन्तु अनुभाग अधिकारी ग्रेड में रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड I. के ऐसे अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता, अनुभाग अधिकारी ग्रेड में उनके चयन के क्रमानुसार होगी और पूर्ववर्ती चुन गये व्यक्ति पश्चात्वर्ती चुन गये व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे ।

15. वेतनमान :—सेवा के विभिन्न ग्रेडों से सम्बद्ध वेतनमान निम्नलिखित रूप में होंगे, अर्थात् :—

(1) प्रवरण ग्रेड

(उपसचिव)

(सयक्त निदेशक) 1,100–50–1, 300–60–1, 600–100–1, 800 रु०

(II) क–उपनिदेशक ग्रेड 900–50–1250 रु० के साथ विशेष वतन 200 प्रति मास

(II) ख ग्रेड I.

(अवर सचिव)

(सहायक निदेशक) 900–50–1250 रु०

(III) अनुभाग अधिकारी ग्रेड 350–25–500—30–590—द० रो० 30–800–द० रो०–30–830–35–900 रु०

(टिप्पण :—सहायक ग्रेड के किसी अधिकारी को अनुभाग अधिकारी ग्रेड में प्रोन्नत किये जाने पर इस वतनमान में न्यूनतम आरंभिक वेतन 400 रु० अनुज्ञात किया जाएगा ।)

(I) सहायक ग्रेड :– 210–10–270—15–300 द० रो० 15–450–द०रो० 20–530 रु०

परन्तु 1 जुलाई, 1959 से पूर्व किसी ग्रेड में नियुक्त अधिकारियों को रेल सेवाएं (प्राधिकृत वतन) नियम, 1960 के उपबन्धों के अनुसार जो वेतनमान उनको ग्राह्य है, में वतन प्राप्त करने का हक होगा ।

16. वेतन का विनियमन.—(1) विभिन्न ग्रेडों के अधिकारियों का वेतन और वेतन वृद्धियां भारत रेल स्थापना संहिता और तत्समय प्रवृत्त वेतन संबधी वैसे ही अन्य रेल नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमित होंगी :

परन्तु आयोग के माध्यम से सहायक ग्रेड में भर्ती कोई अधिकारी जो उस ग्रेड में अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की कालावधि के अन्दर आयोग द्वारा आयोजित टाइपकारी परीक्षण इस प्रयोजन के लिए विहित न्यूनतम गति से उत्तीर्ण नहीं करता है तो जब तक कि उसे विशेष या साधारण आदेश द्वारा छूट न दे दी गई हो, उसको उस ग्रेड में तब तक कोई आगे की वेतन वृद्धि प्राप्त करने का हक नही होगा जब तक वह ऐसा परीक्षण उत्तीर्ण नहीं कर लेता और उसके परीक्षण में उत्तीर्ण होने पर या उससे छूट पाने पर उसका वेतन इस प्रकार पुन: नियत किया जाएगा जैसे कि उसकी वेतन वृद्धियां इस परन्तुक के अधीन रोकी नहीं गई थीं, किन्तु उस कालावधि का जिसके दौरान वेतन वृद्धियां रोकी गई थीं उसको वेतन का बकाया अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(2) किसी ग्रेड में परिवीक्षाधीन का वेतन नियुक्ति प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप से उसकी परिवीक्षा का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर और विहित कालिक परीक्षण उत्तीर्ण करने पर काल, वेतन-मान में एक सोपान बढ़ाया जा सकेगा

17. विनियम.—केन्द्रीय सरकार का रेल मंत्रालय, उन सभी विषयों की बाबत, जिनका इन नियमों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ उपबन्ध आवश्यक या समीचीन है ऐसे नियम बना सकता है, जो इन नियमों से असगत न हों ।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार के रेल मंत्रालय की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उन कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएंगे और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों या पदों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी ।

19. निर्वचन.—यदि इन नियमों या तधधीन बनाये गये विनियमों की बाबत कोई प्रश्न उठता हो तो उसका विनिश्चय केन्द्रीय सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा ।

20. निरसन और व्यावृत्ति.—(1) इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों की बाबत इन नियमों के प्रारम्भ होने से ठीक पुर्व प्रवृत सभी नियम, विनियम और आदेश, इन नियमों के प्रारम्भ होने पर निरसित हो जाएंगे ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी यह है कि इन विनियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसे नियम, विनियम और आदेश, सिवाय इसके कि जहां और जहां तक वे इन नियमों के उपबन्धों से असगत या विरुद्ध हों, उन विषयों की बाबत प्रवृत्त बने रहेंगे जिनके लिए इन नियमों में या तो उपबंध किया ही नही गया है या अपर्याप्त उपबंध किया गया है ।

अनुसूची

रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के अनभाग अधिकारी और सहायकग्रेड की चयन सूचियों के गठन और उनके बनाए रखने के लिए विनियम ।

1. गठन––नियत दिन से ठीक पूर्व अपने अपने ग्रेडों के नियमित रूप से गठित पेनलों में के अधिकारियों से ऐसी तारीख को सबन्धित ग्रेड की चयन सूची बनेगी ।

क – अनुभाग अधिकारी ग्रेड

2. सूची बनाए रखना––

(1) अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में विनियम 1 के अधीन उसके गठन के पश्चात् पद्धियां ऐसी रीती मे की जाएंगी जो केन्द्रीय सरकार का रेल मंत्रालय विद्यमान और प्रत्याशित रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए,

(क) अयोग्य अधिकारियों के प्रतिक्षेपण के अध्यधीन सहायक ग्रेड के उन स्थायी अधिकारियों जिन्होंने उस ग्रेड में अपनी ज्येष्ठता के क्रम में आठ वष मे अन्यून अनमोदित्त सेवा की हो, और

(ख) रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) द्वारा इस निमित्त समय समय पर आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणामो पर अपनी योग्यता क्रम में से समान अनुपात में समय समय पर अवधारित करे ।

उपरिनिर्दिष्ट दोनों प्रवर्गों के व्यक्ति चयन सूची में एकान्तरूप से एक व्यक्ति प्रवर्ग (क) में से लेकर और फिर एक व्यक्ति प्रवर्ग (ख) में से लेकर और इस प्रकार उसी क्रम में चयन सूची में सम्मिलित किये जायेंगे ।

(2) उपर्युक्त खण्ड (1) में निर्दिष्ट सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के नियम वे होंगे जो केन्द्रीय सरकार का रेल मंत्रालय आयोग के परामर्श से बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित करे ।

ख––सहायक ग्रेड

सहायक ग्रेड की चयन सूची में विनियम 1 के अधीन उसके गठन के पश्चात वृद्धि, ऐसी रीति से की जायगी जो केन्द्रीय सरकार का रेल मंत्रालय, विद्यमान और प्रत्याशित रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अवधारित करे और अयोग्य व्यक्तियों के प्रतिक्षेपण के अध्यधीन रेल बोर्ड सचिवालम लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड के उन स्थायी अधिकारियों में से जिन्होंने उस ग्रेड में पांच साल से अन्यन की अनुमोदित सेवा की हो ज्येष्ठता क्रम से की जायगी ।

3. ज्येष्ठता—

(1) विनियम 1 के अधीनगठित किसी ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित अधिकारी उन अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे जो चयन सूची के ऐसे गठन के पश्चात उसमें सम्मिलित किये गये हों ।

(2) विनियम 2 के अधीन चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उस क्रम में होगी जिस क्रम में वे चयन सूची में सम्मिलित किये गये हों ।

(3) किसी ग्रेड में सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों, ग्रेड के लिए चयन सूची से उस ग्रेड में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों और रेल विभागों से भर्ती किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता, विहित चक्रानुक्रम में क्रमशः सीधी भर्ती चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की नियुक्ति और रेल विभागों से भर्ती के लिए आरक्षित उस ग्रेड में अधिष्ठायी रिक्तियों के कोटे के अनुसार समनुदेशित की जायगी ।

दृष्टान्त

अनुभाग अधिकारी

इस दशा में जहां अधिष्ठायी रिक्तियों का 75 प्रतिशत चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती के लिए आरक्षित हो तो वहां प्रत्येक सीधी भर्ती वाले व्यक्ति को चयन सूची में से अधिष्ठायी रूप से नियुक्त तीन व्यक्तियों के ऊपर ज्येष्ठता दी जायगी ।

सहायक —

इस दशा में जहां अधिष्ठायी रिक्तियों का 50 प्रतिशत सीधी भर्ती वालों के लिए, 25 प्रतिशत चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए और 25 प्रतिशत रेल विभागों से भर्ती किये गये व्यक्तियों के लिए आरक्षित हो तो वहां ज्येष्ठता का क्रम 'सीधी भर्ती वाला व्यक्ति' 'चयन सूची से अधिष्ठायी रूप से नियुक्त व्यक्ति' : सीधी भर्ती वाला व्यक्ति 'रेल विभागों से भर्ती वालों व्यक्ति' के क्रम में होगा और इसी प्रकार क्रम चालू रहेगा, यथा —

यू० बी० यू० आर०—'यू'—'सीधी भर्ती वाला व्यक्ति' के लिए 'बी' चयन सूची में 'सम्मिलित व्यक्ति' के लिए तथा 'आर' रेल विभागों से भर्ती व्यक्ति के लिए रखा गया है ।

4. चयन सूची से नामों का हटाया जाना —

(1) खण्ड (3) के अधीन किये गये अपवादों के अध्यधीन किसी ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित कोई अधिकारी चयन सूची में तब तक सम्मिलित बना रहेगा जब तक कि उसकी उस ग्रेड में अधिष्ठायी रूप से नियुक्ति नहीं हो जाती ।

(2) ग्रेड के लिए चयन सूची में सम्मिलित वे अधिकारी जो उस ग्रेड में नियुक्त नहीं किये जा सकते हैं या जो रिक्तियों के अभाव में वहां से प्रत्यावर्तित कर दिये जाते हैं चयन सूची में सम्मिलित बने रहेंगे और चयन सूची में अपने को समनुदेशित ज्येष्ठता प्रतिधारित करेंगे ।

(3) निम्नलिखित प्रवर्गों के व्यक्तियों के नाम चयन सूची से हटा दिये जायेंगे, अर्थात:—

(क) संबंधित ग्रेड में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त व्यक्ति ;

(ख) अन्य सेवा या पद पद अन्तरित व्यक्ति;

(ग) वे व्यक्ति जो मर जाएं या सेवा निवृत्त हो जाएं या जिनकी सेवाएं अन्यथा समाप्त कर दी जाएं, और

(घ) वे व्यक्ति जो, नियम 11 में विहित अपने अपने ग्रेड में परीक्षण की कालावधि के दौरान उसकी समाप्ति पर नियम 13 के उपनियम 4 के अधीन उस ग्रेड में बने रहने की अयोग्यता के कारण उस ग्रेड से प्रत्यावर्तित कर दिये जाते हैं; या

(ङ) वे व्यक्ति जो अपने अपने ग्रेड में परीक्षणाधीन प्रोन्नत नहीं किये गये हैं और जो चयन सूची के वार्षिक पुनर्विलोकन पर सूची में सम्मिलित किये जाने के बाद से अपने सेवा वृत्त या आचरण में गिरावट के कारण अपेक्षित स्तर से नीचे गिरे हुए पाये जाएं :—

परन्तु ऊपर लिखित प्रवर्ग (ङ) के किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जिसे विनियम 2 में निर्दिष्ट सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों पर चयन सूची में सम्मिलित किया गया है यदि ऐसी नियुक्ति आयोग के अनुमोदन से की गई हो तो आयोग के परामर्श से ही हटाया जायगा ।

[सं० ई० आर० बी० I—680—जी० 1/2]

नई दिल्ली, 9 जनवरी 1970

जो० एस० आर० 596.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त शीर्षक :—ये नियम रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 में, —

(i) नियम 6 में, "किसी सेवा में प्रत्येक ड्यूटी-पद" शब्दों के स्थान पर "सेवा में प्रत्येक ड्यूटी-पद" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(ii) नियम 8 के उप नियम (3) के प्रथम उपबंध में "उस ग्रेड" शब्दों के स्थान पर "ग्रेड" शब्द प्रतिस्थापित किया जायगा ;

(iii) नियम 14 के उप नियम (3) में "उप नियम में की गयी व्यवस्थाओं के सिवाय" शब्दों के स्थान पर "उप नियमों में में की गयी व्यवस्थाओं के सिवाय" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(iv) नियम 18 में, "सभी या किसी उपबन्ध में छूट" शब्दों के स्थान पर "किसी उपबन्ध में छूट" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(v) नियम 20 के उप नियम (2) में "इन विनियमों के प्रारम्भ होने से पहले" शब्दों के स्थान पर "इन नियमों के प्रारम्भ होने से पहले" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० ई० आर० बी० I 68 ओ० जी० 1/2]

सी० एस० परमेश्वरन,
सचिव, रेलवे बोर्ड,
और भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव ।

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 3rd March 1970

G.S.R. 1982.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Artist in the Directorate of Commercial Publicity under the Ministry of Foreign Trade, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Foreign Trade (Directorate of Commercial Publicity), Recruitment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit specified for direct recruitment may be relaxed in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the general orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualifications.**—(a) No person, who has more than one wife living or who, having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, shall be eligible for appointment to the post; and

(b) no woman, whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage shall be eligible for appointment to the post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons/ the post.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the Post of Senior Artist in the Directorate of Commercial Publicity in the Ministry of Foreign Trade.

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or non-Selection Post.	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer grades from which promotion deputation/transfer to be made.	If a D.P.C. exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C is to be consulted in making rectt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Senior Artist	1	General Central Services Class II Gazetted Non-Ministerial	Rs. 400—25—500—30—590—EB—30—800.	Selection	40 years and below. (Relaxable for Govt. servants)	*Essential*: (*i*) Degree/Diploma in Fine Art or Commercial art of a recognised University/Institution. (*ii*) About 5 years' experience in preparation of visuals for various advertising designs and layouts. (Qualifications relaxable at Commission's discretion	No	2 years	By promotion failing which by direct recruitment.	*Promotion*: Commercial Artists working in the Directorate of Commercial Publicity with at least 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Class II Departmental Promotion Committee	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

	in case of candidates otherwise well qualified).
Desirable :	
Knowledge of block making and various processes of printing and preparation of lay out etc. in advertising agencies of repute, Government Publication departments.	

[No. F. 1/64/69—E.1.]

विदेशी व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1970

सा०का०नि० 1982—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति विदेशी व्यापार मंत्रालय के अधीन वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय में वरिष्ठ कलाकार के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) ये नियम उप-प्रशासक विदेशी व्यापार मंत्रालय (वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय) भर्ती नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।

3. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पद की संख्या उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं :—उक्त पद पर भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताए और उनसे सम्बद्ध अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ;

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष व्यक्ति प्रवर्गों के किसी व्यक्ति की दशा में सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट उच्चतम आयु सीमा समय-समय पर निकाले गए केन्द्रीय सरकार के साधारण आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकेगी ;

5. निरर्हताएं :—(क) वह व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं या जो एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करता है जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसी पत्नी के जीवन काल में होता है ।

(ख) वह स्त्री उक्त पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी जिसका विवाह इस कारण शून्य है कि उस विवाह के समय उसके पति की पत्नी जीवित थी या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी उस विवाह के समय जीवित थी ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर किसी व्यक्ति को इस नियम प्रवर्तन से छूट देने योग्य विशेष आधार है तो वह आदेश दे सकेगी कि उसे छूट दी जाए ।

6. शिथिल करने की शक्ति:—जो केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समचीन है, वहां वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जायेंगे और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी ।

विदेशी व्यापार मंत्रालय उपप्रशासक (कान्डला मुक्त व्यापार

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
वरिष्ठ कलाकार	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग II राजपत्रित गैर-लिपिक	400–25–500–30–590 द०रो० 30–800–रु०	प्रवरण	40 वर्ष और उससे कम (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)	आवश्यक : (1) मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से कला या वाणिज्यिक कला में डिग्री/डिप्लोमा (2) विभिन्न विज्ञापन डिजाइन तथा ले-आउट हेतु दृश्य तैयार करने में लगभग पांच वर्ष का अनुभव (अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं) । वांछनीय : विख्यात विज्ञापन अभिकरणों सरकारी प्रकाशन विभागों में ब्लाक बनाने तथा छपाई की विभिन्न प्रक्रियाओं तथा ले-आउट आदि का ज्ञान

जोन प्रशासन) पद के लिए भर्ती नियम ।

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी ।	परिवीक्षा की कालावधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति, क्या भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रति-नियुक्ति/ अन्तरण द्वारा, तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रातशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियु-क्ति/अन्तरण किया जाना है ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है ।	वे परिस्थितिय जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।
8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति:—वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय में कार्य कर रहे वाणिज्यिक कलाकार जिनकी ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद की गई कम से कम पांच वर्ष की सेवा हो ।	वर्ग–2 विभागीय पदोन्नति समिति	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित ।

[स० 1/64/69 ई० ।]

New Delhi, the 5th December 1970

G.S.R. 1983.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Protocol Officer in the Ministry of Foreign Trade, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Foreign Trade (Protocol Officer) Recruitment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. *Application.*—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule

5. **Disqualifications.**—(a) No person, who has more than one wife living or who, having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, shall be eligible for appointment to the post, and

(b) no woman, whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage, shall be eligible for appointment to the post

Provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person/the post.

Recruitment Rules for the post of protocol Officer in Ministry of Foreign Trade

name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pasy	Whether Selection Post or non-Selection Post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation if any	Method of recrt. whether by direct recrt. or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recrt. by promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	If A D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recrt
1	2	3	4	5	6	7	7	9	10	11	12	13
Protocoal Officer.	One	General Central Service Class II Gazetted Non-Ministerial	Rs. 400—25—500—30—590—EB 30—800.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation.]	*Transfer on deputation.* Officers of Central Services Class II possessing a degree of a recognised University or equivalent. equivalent qualification sand having about 3 years' experience of Protocol and/or Public Relations work including that in reception organisations. (Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years)	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958

[No. F 1/77/69-E.I]

K. K. SACHDEV, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1970

सा०का०नि० 1983.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति विदेशी व्यापार मंत्रालय में नयाचार अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने बाबे एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—ये नियम विदेशी व्यापार मंत्रालय (नयाचार अधिकारी) भर्ती नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।

3. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पद की संख्या उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बद्ध अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ;

5. निर्हताएं :—(क) वह व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं या जो एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करता है जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसी पत्नी के जीवन काल में होता है ; और

(ख) वह स्त्री उक्त पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी जिसका विवाह इस कारण शून्य है कि उस विवाह के समय उसके पति की पत्नी जीवित थी या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह कियाहै जिसकी पत्नी उस विवाह के समय जीवित थी ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन मे छूट देने योग्य विशेष आधार है तो वह आदेश दे सकेगी कि उसे छूट दी जाए ।

6. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाऐंगे और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या पवर्ग/पद के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी ।

विदेशी व्यापार मंत्रालय में नयाचार

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद ।	सीधी भर्ती वालों के के लिए आयु सीमा ।	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।
1	2	3	4	5	6	7
नयाचार अधिकारी	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग-II अराजपत्रित गैरलिपिक वर्गीय ।	400—25—500—30—590—द०रो०—30—800 ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी ।	परीक्षा की कालावधि यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति, क्या भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रति-नियुक्ति/ अन्तरण द्वारा, तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रति-नियुक्ति/अन्तरण किया जाना है ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है ।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती कर में संघ लोक सेव आयोग से परामर्श किया जाना है ।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होती	लागू नहीं होती	प्रतिनियुक्ति पर अंतरण द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण: केन्द्रीय सेवा ।। के अधिकारी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समतुल्य अर्हताएं हों और जो नयाचार और/ अथवा जनसम्पर्क कार्य का, जिसमें स्वागत संगठनों का अनुभव शामिल है, 3 वर्ष का अनुभव रखते हों । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	लागू नहीं होती	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनि-यम, 1958 के अधीन यथा-अपेक्षित ।

[फाइल सं० 1/77/69-ई-1]

के० के० सब्बदेय, अवर सचिव ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

New Delhi, the 31st July 1970

G.S.R. 1984.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, namely:—

1. These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) 82nd Amendment Rules, 1970.

2. In the Second Schedule to the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, after Serial No. 318 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:—

"319. Pharmaceutical Machinery, including bottle filling machines".

[No. 99/F. No. 319/1/70-DBK]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1970

सा० का० नि० 1984.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960, में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. ये नियम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) 82वा संशोधन नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

2 सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 की द्वितीय अनुसूची में क्रम सं० 318 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"औषधीय मशीनरी, जिसमें बोतल भरने वाली मशीनें भी सम्मिलित है"

[सं० 99/फा० सं० 319/1/70-डी० बी० के०]

CUSTOMS

New Delhi, the 5th December, 1970

G.S.R. 1985.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 75, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. G.S.R. 575 (55/F. No. 34/86/60-Cus. IV), dated the 28th May, 1960, namely:—

In the Schedule to the said notification, after Serial No. 385 and the entry relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"386. Pharmaceutical Machinery, including bottle filling machines."

[No. 98/F. No. 319/1/70-DBK.]

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1970

सा० का० नि० 1985.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 575 (55/एफ० सं० 34/86/60 सीमा शुल्क IV) तारीख, 28 मई, 1960 में एतद्द्वारा और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं० 385 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"औषधीय मशीनरी, जिसमें बोतल भरने वाली मशीनें भी सम्मिलित हैं।"

[सं० 98/फा०सं० 319/1/70-डीबीके]

G.S.R. 1986.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods when imported into India for repairs, and the spares, components and materials imported for use in such repairs, from the whole of the duty of customs leviable thereon, subject to the condition that the repairs are undertaken in accordance with the provisions of section 65 of the said Act.

[No. 103/F. No. 18/32/69-Cus.V.]

V. R. SONALKAR, Dy. Secy.

सा० का० नि० 1986.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, एतद्द्वारा मरम्मत के लिए भारत में आयात किए जाने वाले माल और ऐसी मरम्मत में उपयोग के लिए आयात किए गए फालतू पुर्जों, संघटकों और सामग्री को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा शुल्क से, इस शर्त के अध्यधीन कि मरम्मत, उक्त अधिनियम की धारा 65 के उपबन्धों के अनुसार की जाए, छूट देती है ।

[सं० 103/एफ० सं० 18/32/66-सी शु]

वि० रा० सोनालकर, उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970